BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

IN

O.A. NO. 417/2022

IN THE MATTER OF:

NIRANJAN BAGCHI ...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND & ORS ...RESPONDENT

INDEX

S.No	Particulars	Page no
1.	Reply by way of affidavit on behalf of respondent no 12 District Ganga Committee, district, magistrate, Dehradun in compliance of the order dated17.03.2025.	1-5
2.	**Annexure A.** Copy of the order dated 17.03.2025 passed Hon'ble Bench.	6-9
3.	**Annexure B** Copy of the minutes of the meeting dated 22.02.2025.	10-19
4.	**Annexure C** Copy of the letter dated 12.03.2025	20-22
5.	**Annexure D (COLLY)** That the copy of the minutes of the meeting dated 15.03.2025 along with report dated 12.03.2025.	23-24
6.	**Annexure E** That the copy of the minutes of the meeting dated 26.03.2025.	25-34
7.	**Annexure F** Copy of the letter dated 12-03-2025.	35

8.	**Annexure G** Copy of the order dated 17.03.2025.	36-37
9.	**Annexure H** Copy of the order dated 22.03.2025.	38-39
10.	**Annexure I** Copy of the order dated 05.04.2025.	40-41
11.	**Annexure J** That the copy of the minutes of the meeting dated 11.04.2025.	42-45
12.	**Annexure K** Copy of the order dated 23.04.2025. Letter Number 492/L.B.C 2024.	45-46
13.	**Annexure L** Copy of the order dated 23.04.2025. Letter Number 493/L.B.C 2024.	47-48
14.	**Annexure M** Copy of the order dated 23.04.2025. Letter Number 494/L.B.C 2024.	49-50
15.	**Annexure N** Copy of the order dated 23.04.2025. Letter Number 495/L.B.C 2024.	51-52
16.	**Annexure O** Copy of the order dated 23.04.2025. Letter Number 496/L.B.C 2024.	53-54
17.	**Annexure P** Copy of the order dated 23.04.2025. Letter Number 497/L.B.C 2024.	55-56

Dated: 02.05.2025

Respondent no 12,

District Ganga Committee.

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

IN

Original Application NO. 417/2022

(IA No. 139/2025)

NOTARY
Smt. Rukhsana Bagum
NOTARIAL
Regd. No. 20/01/2002
Distt. Dehradun
STATE OF UTTRAHAND (INDIA)

IN THE MATTER OF:

NIRANJAN BAGCHI ...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND & ORS ...RESPONDENT

REPLY BY WAY OF AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO 12 DISTRICT GANGA COMMITTEE, DISTRICT, MAGISTRATE, DEHRADUN IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED17.03.2025.

Most respectfully showeth:

I Savin Bansal aged about 40 years S/o Sh. Shashi Bansal, presently posted as District Magistrate, Dehradun, Uttarakhand (Chairman District Ganga Committee), do hereby solemnly affirm on oath and state as under:

1- That in my above-mentioned official capacity, I am acquainted with the facts and circumstances of the present matter, and I am fully competent to file present additional reply by way of affidavit.

2- That the above-mentioned case was listed for hearing before the Hon'ble bench and the Hon'ble Bench was pleased to pass the following order.

> "7. Replies/responses have not been filed by Respondents no. 9 to 12. Respondents no. 9 to 12 are directed to file reply to IA No. 139/2025 filed by respondent no.1 and to file their responses/replies with reference to the environmental questions involved in the case. In their replies/ responses, Respondents no. 9 to 12 shall specifically mention as to what action was taken against the Officers/Departments/Authorities for non- compliance of the directions issued by Respondents no. 9 to 12.
>
> 8. List on 06.05.2025 for further consideration."

NOTARY
Smt. Rukhsana Bagum
Advocate
Reg. No. 20/01/2002
Distt. Dehradun
STATE OF UTTRAHAND (INDIA)

The copy of the order dated 17.03.2025 is annexed herewith **Annexure A.**

3- That in the compliance of above order dated 17-03-2025 present reply by way of affidavit is being filed.

4- That the District Ganga Suraksha Committee convened a meeting on 22.02.2025, and in terms of reports submitted, issued guidelines to the concerned departments i.e MDDA, Executive Officer Nagar Palika, Mussoorie, Superintendent Engineer Peyjal Nigam, Superintendent Engineer Irrigation Department, Superintendent Engineer PWD, Dehradun. That copy of the minutes of meeting is Annexed herewith as **Annexure B.**

5- That in condonation to the above, a letter for compliance was also forwarded to the concerning departments on 12.03.2025. That the copy of the letter dated 12.03.2025 is Annexed herewith as **Annexure C.**

6- That on 15.03.2025, on the direction of the Deponent, a meeting was convened by Additional District Magistrate, Dehra Dun and the reports presented by the Municipal Corporation Dehradun dated 12.03.2025 and compliance report by Peyjal Nigam dated 15.03.2024 were discussed upon and further directions were issued in addition to the previous directions to the departments, which had earlier failed to comply. That the departments were directed to ensure the compliance of Point no 1 of minutes of the meeting dated 22.02.2025 and it was further directed that if the directions are not complied within the stipulated time, then the concerned department/officers will be liable for any adverse orders that are passed by Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi. That it was apprised by the officers of the concerned department in this meeting that a team will be formed to identify and remove the encroachments and this programme will be taken up from 17.03.2025 onwards. That the copy of the minutes of the meeting dated 15.03.2025 along with report dated 12.03.2025 of Municipal Corporation Nigam is annexed herewith as **Annexure D.**

7- That the District Ganga Suraksha Committee convened a meeting on 26.03.2025 on the instructions of the Deponent regarding this matter and all the concerned officials were instructed for the compliance of the orders of Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi. That copy of the minutes of meeting is Annexed herewith as **Annexure E.**

8- That despite the repeated instructions to the concerned officials, there was non-compliance of the directions issued by this office to which Hon'ble National Green Tribunal had also expressed strong resentment and

NOTARY STATE OF UTTRAKHAND INDIA Smt. Rukhsana Begum Advocate Reg. No. 29/11/2002 Distt. Dehradun

displeasure. That the copies of the minutes of meeting for compliance dated 22.02.2025 to all the concerned departments alongwith letter dated 12.03.2025 for compliance to Municipal Commissioner Nagar Nigam Dehradun, Vice Chairman, Mussoorie Dehradun Development Authority, Superintendent Engineer, Irrigation Department Dehradun and Superintendent Engineer Payjal Nigam is annexed herewith. A copy of same was also sent to the Secretary Housing Dehradun, Secretary Public Works Dehradun, Secretary Irrigation Department Dehradun, Secretary Peyjal Nigam Dehradun and Secretary Urban Development Dehradun. That the copy of the said letter dated 12-03-2025 is annexed herewith as **Annexure F**.

9- It is further submitted again that despite the repeated instructions to the concerned officials due to non-compliance of the directions by this office, a letter dated 17-03-2025 was issued to the officers of the concerned department and the copy of the above said letter was respectfully send for information and necessary action to the Secretary Housing Uttarakhand Government, Secretary Public Works Department Uttarakhand Government, Secretary Irrigation Department Uttarakhand Government, Secretary Peyjal Nigam Uttarakhand Government and Secretary Urban Development Uttarakhand Government and Staff Officer, Chief Secretary, Uttarakhand Government. That the copy of the letter dated 17-03-2025 is annexed herewith as **Annexure G.**

10- It is further submitted that despite the repeated instructions to the concerned officials for non-compliance of the directions by this office, a letter dated 22-03-2025 was again issued to the officers of the concerned department and the copy of the above said letter was respectfully again send for information and necessary action to the Secretary Housing Uttarakhand Government, Secretary Public Works Department Uttarakhand Government, Secretary Irrigation Department Uttarakhand Government, Secretary Peyjal Nigam Uttarakhand Government and Secretary Urban Development Uttarakhand Government and Staff Officer, Chief Secretary, Uttarakhand Government. That the copy of the letter dated 22-03-2025 is annexed herewith as **Annexure H.**

11- It is further submitted that again despite the repeated instructions to the concerned officials for non-compliance of the directions by this office, a letter dated 05-04-2025 was issued to the officers of the concerned department and the copy of the above said letter was respectfully send for information and necessary action to the Secretary Housing Uttarakhand Government, Secretary Public Works Department Uttarakhand

NOTARY
Smt. Rukhsana Begum
Advocate
Reg. No. 20[illegible]/2002
Distt. Dehradun
STATE OF UTTRAKHAND INDIA

Government, Secretary Irrigation Department Uttarakhand Government, Secretary Peyjal Nigam Uttarakhand Government and Secretary Urban Development Uttarakhand Government and Staff Officer, Chief Secretary, Uttarakhand Government. That the copy of the letter dated 05-04-2025 is annexed herewith as **Annexure I.**

12- That the District Ganga Suraksha Committee convened a meeting again on 11.04.2025 regarding this matter and all the concerned officials were again instructed for the compliance of the orders of Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi. That copy of the minutes of meeting is Annexed herewith as **Annexure J.**

13- That letter dated 23.04.2025 letter no 492/L.B.C-2024 was issued requesting the Staff Officer, Chief Secretary, Government of Uttarakhand for issuance of directions to the concerned officers to ensure the compliance of the order of Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi dated 23.04.2025 is annexed herewith as **Annexure K.**

14- That letter dated 23.04.2025 letter no 493/L.B.C-2024 was issued requesting the Secretary, Public Work Department, Government of Uttarakhand for issuance of directions to the concerned officers to ensure the compliance of the order of Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi dated 23.04.2025 is annexed herewith as **Annexure L.**

15- That letter dated 23.04.2025 letter no 494/L.B.C-2024 was issued requesting the Secretary, Payjal, Government of Uttarakhand for issuance of directions to concerned officers to ensure the compliance of the order of Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi dated 23.04.2025 is annexed herewith as **Annexure M.**

16- That letter dated 23.04.2025 letter no 495/L.B.C-2024 was issued requesting the Secretary, Irrigation Department, Government of Uttarakhand requesting issuance of directions to concerned officers to ensure the compliance of the order of Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi dated 23.04.2025 is annexed herewith as **Annexure N.**

17- That letter dated 23.04.2025 letter no 496/L.B.C-2024 was issued requesting the Secretary, Urban Development, Government of Uttarakhand requesting issuance of directions to concerned officers of the order of Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi dated 23.04.2025 is annexed herewith as **Annexure O.**

18- That letter dated 23.04.2025 letter no 497/L.B.C-2024 was issued requesting Secretary Home, Government of Uttarakhand requesting issuance of directions to concerned officers to ensure the compliance of

NOTARY STATE OF UTTRAKHAND Smt. Rukhsana Baqum Reg. No. 20 Distt. Dehradun

the order of Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi dated 23.04.2025 is annexed herewith as **Annexure P.**

19- That on the deponent is the responsible government citizen and have highest regards for the law and this courts of this Country.

Deponent

VERIFICATION: -

Verified at on this 3 day of _May_ 2025 that the contents of the above affidavit are true and correct to my knowledge and no part of it is false therein and nothing has been concealed therefrom.

Deponent

NOTARY
Smt. Rukhsana Bagum
Advocate
Reg. No. 20 (01)/2002
Distt. Dehradun
STATE OF UTTRAKHAND (INDIA)

affidavit is sworn before me by
Shri....Ravin Bansal
who is identified by Shri..Rajender Singh Rawal
at Dehradun on ....

3-5-25
R. g. N. 72

(SMT. RUKHSANA BAGUM)
Advocate & Notary, Dehradun

Item No.01 Court No. 2

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 417/2022
(IA NO 139/2025)

Niranjan Bagchi Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors. Respondents

Date of hearing: 17.03.2025

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant: None for the applicant.

Respondents: Ms. Ruchira Gupta, DAG, Ms. Anjali Rajput and Ms. Pooja Tripathi, Advocates for Respondent No. 1, 2, 5 and 7.
Mr. Kaushal Gautam, Advocate for Respondent No. 3.
Mrs. Payal Bhatia Mohanty Proxy Counsel for Dr. Aman Rab Advocate for Respondent No. 4 (through VC).
Mr. Rahul Verma, Advocate for respondent no. 6.
Mr. Vinay Garg and Ms. Neetu Rawat, Advocates for Respondent no. 8.
Mr. Gi Gi C George, Advocate for respondent no. 9 and 10.

ORDER

1. In compliance with order dated 10.02.2025 passed by the Hon'ble Supreme Court in *Civil Appeal No. 1440 of 2025* titled as *State of Uttarakhand & Ors. Vs. Niranjan Bagchi & Ors.*, IA No. 139/2025 has been filed by Respondent No. 1- State of Uttarakhand through the Municipal Commissioner, Dehradun with the following prayers:-

"a. Modify/partially recall the directions issued by this Hon'ble Tribunal in paras 21 to 23 of the order dated 16.12.2024;

NOTARY 1 Smt. Rukhsana Begum Advocate Reg. No. 20 (01)2002 Distt. Dehradun STATE OF UTTRAKHAND (INDIA)

b. Permit the State Government to place the list of slums/encroachments/disputed structures on riverbed and active flood plain zone of river Rispana which have been found to have been in existence prior to the cut off date of 11.03.2016 for review before the National Mission for Clean Ganga (NMCG) and issuance of necessary directions thereof;

c. Pending the hearing of this Application, stay operation of the order dated 16.12.2024 after the expiry of period of three weeks protection granted by the Hon'ble Supreme Court vide order dated 10.02.2025 passed in Civil Appeal No. 1440/2025; and

d. Pass such further and necessary orders as this Hon'ble Tribunal may deem fit and necessary in the interest of justice."

2. In para no. 7 of the abovesaid application, the applicant has submitted that out of 89 illegal encroachments 20 illegal encroachments are supported by valid proof of construction/residency prior to the cut-off date of 11.03.2016 and remaining 69 encroachments were removed. In para no. 8 of the abovesaid application the applicant has mentioned that out of 413 encroachments in villages Kathbangla, Veer Gabbar Singh Basti, Tarla Nangal, Chidowali, Kandoli, Dhakpatti and Happy Enclave on the banks of the Rispana River, 350 were found to have existed/have been completed prior to 11.03.2016 and remaining 66 constructions have been removed. However, copies of reports regarding 89 illegal encroachments submitted to the Commissioner Municipal Corporation, Dehradun and 413 encroachments submitted to the Vice-Chairman, Mussoorie Dehradun Development Authority have not been enclosed with the application.

3. Respondent no. 1 is directed to file affidavit alongwith copies of the above said reports alongwith supported documents which are essential for elucidation of factual aspects in order to determine the question of applicability of the second proviso to sub-clause 3 of clause 6 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016. Respondent no. 1 is also directed to file copies of all relevant documents enclosed with the report to show the details as to when, by

NOTARY Smt. Rukhsana Begum Advocate Reg. No. 20 (07)/2002 Distt. Dehradun STATE OF UTTRAKHAND (INDIA)

whom, on how much area and what kind of constructions were raised and what is the material in support of completion of the construction thereof before the cut-off date. In its affidavit respondent no. 1 shall also specifically mention as to whether in view of the Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012 raising of any construction is permissible on the bank of river/rivulet and whether the construction in question are permissible in view of the provisions of the above said Act.

4. Affidavit alongwith copies of the relevant document may be filed by Respondent no. 1- State of the Uttarakhand at least one week before the date of hearing fixed.

5. Vide order dated 13.02.2025, NMCG, GMA, SGC and DGC were impleaded as respondents no. 8 to 11 and were directed to file their replies/ responses at least two days before the date of hearing fixed.

6. It has been pointed out that in order dated 13.02.2025 the above said Authorities were ordered to be impleaded as Respondents no. 8 to 11 but Mussoorie Dehradun Development Authority had already been impleaded as Respondent no. 8 and therefore the above said Authorities ought to have been numbered as Respondents no. 9 to 12. The Registry has already numbered the above mentioned authorities as Respondents no. 9 to 12. Order dated 13.02.2025 is modified to the extent of impleading of above said authorities as Respondents no. 9 to 12.

7. Replies/responses have not been filed by Respondents no. 9 to 12. Respondents no. 9 to 12 are directed to file reply to IA No. 139/2025 filed by respondent no.1 and also to file their responses/replies with reference to the environmental questions involved in the case. In their replies/ responses, Respondents no. 9 to 12 shall specifically mention as to what

NOTARY
Smt. Rukhsana Begum
Advocate
Reg. No. 20/01/2022
Distt. Dehradun
STATE OF UTTRAKHAND (INDIA)

3

action was taken against the Officers/Departments/Authorities for non-compliance of the directions issued by Respondents no. 9 to 12.

8. List on 06.05.2025 for further consideration.

9. In the meanwhile, order dated 16.12.2024 passed by this Tribunal shall remain in abeyance and the question of modification/ recalling of the same will be considered on the date of hearing fixed.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

March 17th, 2025
Original Application No. 417/2022
(IA NO 139/2025)
AB

NOTARY
Smt. Rukhsana B...
Reg. No. 20...
Distt. Dehradun
STATE OF UTTRAHAND (INDIA)

1994

जिला गंगा सुरक्षा समिति, देहरादून की मासिक बैठक

दिनांक 22 फरवरी, 2025 का कार्यवृत।

जिला गंगा सुरक्षा समिति देहरादून की बैठक जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 22.02.2025 को कलेक्टरेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में संपादित की गई।

बैठक की उपस्थिति– सूची संलग्न

पूर्व की बैठक में दिये गये निर्देशो के क्रम में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत अनुपालन आख्या तथा कार्यो की अद्यतन् प्रगति समीक्षा के उपरान्त कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु निम्नवत् आवश्यक दिशा निर्देश दिये गयेः–

कार्यवाही बिंदु 1–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के संबंध में अनुपालन आख्या समीक्षाकी गई जिसमे मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा Civil Appeal No. 1440 of 2025,उत्तराखण्ड राज्य व अन्य बनाम निरंजन बागची में पारित आदेश दिनांक 10 फरवरी 2025 के कम में नगर निगम देहरादून, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, मसूरी नगर पालिक, पेयजल निगम, सिचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग व अन्य सभी सम्बन्धित विभाग जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार दिनांक 07.10.2016 की धारा 6 की उप धारा 3 के प्रावधान का सख्ती से अनुपालन करने तथा इस आदेश/अधिसूचना के लागू होने से पहले रिस्पना नदी के अधिसूचित बाढ़ परिक्षेत्र में यदि कोई नियम विरुद्ध संरचना बनाई गयी है, जो रिस्पना नदी में सतत जल प्रवाह को प्रदूषित करने के साथ–साथ बाधित कर रही है, को संबधित विभाग उक्त अधिसूचना की धारा 6 की उपधारा 3 के द्वितीय परन्तुक के अनुकम में ऐसी समस्त संरचनाओं को 28.02.2025 तक चिन्हित करते हुए तत्काल हटाये। उक्त के क्रम में सम्बन्धित विभागों द्वारा ऐसी समस्त संरचनाओं को चिन्हित करने एवं कितनी संरचनाओं को हटाया गया है, के सम्बन्ध में विभाग विस्तृत व सुस्पष्ट अनुपालन आख्या जिला मजिस्ट्रेट देहरादून के कार्यालय में दिंनाक 07 मार्च 2025 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही– नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून/उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मसूरी /अधीक्षण अभियन्ता पेयजल निगम/ अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई विभाग देहरादून/ अधीक्षण अभियन्ता पीडब्ल्यूडी देहरादून)

कार्यवाही बिंदु 2:–गंगा बेसिन में ऋषिकेश में नमामि गंगे कार्यकम के अंतर्गत निर्मित/निर्माणाधीन एस0टी0पी0 एस0पी0एस0 एवं सीवर लाइन की प्रगति–

परियोजना अभियन्ता नि0अनु0 इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश द्वारा आई0एण्ड0डी0, 26 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 के कार्यो की अद्यतन् प्रगति समिति के सम्मुख निम्नवत् प्रस्तुत की गयी–

योजना का नाम	प्रस्तावित कार्य		स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त के सापेक्ष व्यय	वित्तीय प्रगति प्रतिशत में	अभियुक्ति
ऋषिकेश जलोत्सारण योजना (आई0एण्ड0डी0) एवं 26 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0			15800.0 लाख स्वीकृत	106.47 लाख	103.26 लाख	95.57	26 एम.एल.डी. एस0टी0पी0, 03 एस0पी0एस.11.39 कि0मी0 ग्रेविटी सीवर एवं 1.97 किमी0 राइसिंग मैन का कार्य पूर्ण एवं अनुरक्षणाधीन
के0एफ0डब्लू0 जर्मन बैंक द्वारा	• सीवर लाइन • घरेलू सीवर	• 65.58 किमी	183.09 करोड	10.00 करोड	3.81 करोड	• Well curb सहित 7.50 मी0 कास्टिंग पूर्ण एवं 10.50मी0	

क॰सं॰(एर/ले॰:

Smt. Rukhsana ... Advocate Reg. No. ... Distt. Dehradun

पैकेज–5	कनेक्शन • पंपिंग स्टेशन	• 5349 नग • 02 नग		(2%)	सिंकिंग के सापेक्ष 6.50 मी0 कार्य पूर्ण। • डी.आई पाइप की आपूर्ति एवं 7.80किमी0 सीवर लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण। • आस्था पथ के निकट प्रस्तावित एसपीएस हेतु चयनित भूमि सिटुर्जिया बायो केमिकल्स की होने के कारण नई भूमि के चयन हेतु जल विद्युत निगम की भूमि का संबंधी स्थलीय मापन दिनांक 27.10.24 को तहसील द्वारा किया गया, आख्या अपेक्षित।
पैकेज–6	सीवर नेटवर्क सीवरसंयोजन	59.99 किमी 5907	135.27 करोड	एच0पी0सी0 द्वारा अनुमोदित तथा अनुबंध गठन की कार्यवाही एसएमसीजी स्तर पर गतिमान।	
पैकेज–7	सीवर नेटवर्क सीवरसंयोजन	26.85 किमी 2120 नग	187.17 करोड	एच0पी0सी0 द्वारा अनुमोदित तथा अनुबंध गठन की कार्यवाही एसएमसीजी स्तर पर गतिमान।	
पैकेज–8	एस0पी0एस0 सीवर नेटवर्क राइजिंग मैन	01 नग 26.85 किमी 300 मी0	132.50 करोड अनुमानित	• पुनरीक्षित प्राक्कलन विरचन का कार्य गतिमान। • एस0पी0एस0 निर्माण हेतु चयनित भूमि दिनांक 19.09.24 को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड को आवंटित।	
पैकेज–9A	5 MLD STP राइजिंग मैन एस0पी0एस0	01 नग 50 मी0 01 नग		• विरचित प्राक्कलन की समीक्षा गतिमान। • प्रस्तावित 5.0 एमएलडी एसटीपी के निर्माण के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के नाम नामांतरित तथा मुख्य पंपिंग स्टेशन हेतु 600 वर्ग मी0 भूमि आवंटित करते हुए 06.09.24 को भूमि सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण कर दी गई है।	

योजना का नाम	प्रस्तावित कार्य	स्वीकृत लागत (रु0 लाख में)	अवमुक्त धनराशि (रु0 लाख में)	अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि (रु0 लाख में)	वित्तीय प्रगति प्रतिशत में	कार्य प्रारम्भ तिथि	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि
ऋषिकेश 50 KLD क्षमता का Septage Co-treatment plant	• 65.58 किमी सीवर लाईन • 5349 नग घरेलू सीवर संयोजन • 02 नग पंपिंग स्टेशन	18309.0	1000.00	700.00	5	01.02.2024	31.01.2026

(कार्यवाही: एस.डी.एम., ऋषिकेश, प. प्रबन्धक, नि0 एवं अनु0 इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश)

2–(अ) उत्तराखण्ड पेयजल निगम देहरादून शाखा द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन एस0टी0पी0 एस0पी0एस0 एवं सीवर लाइन की प्रगति–

योजना का नाम	प्रस्तावित कार्य	स्वीकृत लागत (रु0 लाख में)	अवमुक्त धनराशि (रु0 लाख में)	प्रगति प्रतिशत में	कार्य प्रारम्भ तिथि	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि
रिस्पना एवं बिंदाल नदी पर इंटरसेप्शन एवं डायवर्जन का कार्य	• नालों की टैपिंग–200 नग • कैरियर लाइन– 22.34 किमी • एसपीएस निर्माण–01 नग • बिंदाल नदी पर डाइवर्जन संरचना– 01 नग	6739.00	4715.60	100%	05.06.20	नवम्बर 2022
15 एम.एल.डी. एसटीपी एवं आई. एण्ड डी. सपेरा बस्ती	• आर.सीसी आई एण्ड डी. कार्य–01नग • कैरियर लाइन– 1073 मी0 • सीवर संयोजन लाइन– 2627 मी.	7898.74	676.02	30%	15.03.24	मार्च, 2026

NOTARY ... Advocate ... Dehradun ... OF UTTRA...

एसटीपी एवं सीवर लाइन कार्य, टपकेश्वर महादेव, गढ़ीकैंट	• 15 एमएलडी एसटीपी–01 नग • सुरक्षा दीवाल एवं एप्रोच रोड • आरसीसी एनपी–3 पाइप–16399.12 मी • 8 एमएलडी एसटीपी–01 नग	-	-	निविदा प्रकिया गतिमान

2–(ब) पेयजल निगम मसूरी शाखा के द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में 05 एसटीपी कार्यरत तथा 05 एसटीपी निर्माण कार्य राज्य से स्वीकृति उपरांत कार्य प्रगति पर है। जिसका विवरण निम्नवत है–

योजना का नाम	प्रस्तावित कार्य	निर्माण कार्य प्रगति प्रतिशत में
1.10 एमएलडी एसटीपी एवं सीवर लाइन कार्य, लाइब्रेरी जोन	• सीवर लाइन– 12.42 किमी • एसटीपी निर्माण–01 नग	80%
0.70 एमएलडी एसटीपी एवं सीवर लाइन, कैमल बैक जोन	• सीवर लाइन– 1.63 किमी • एसटीपी निर्माण–01 नग	दिनांक 04 फरवरी 2025 को सैद्धांतिक सहमति प्राप्तहो गई है, निर्माण कार्य अतिशीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा।
0.70 एमएलडी एसटीपी एवं सीवर लाइन, आर्केडिया जोन	• सीवर लाइन– 2.17 किमी • एसटीपी निर्माण–01 नग	25%
0.05 एमएलडी एसटीपी एवं सीवर लाइन, धोबीघाट जोन	• सीवर लाइन– 1.13 किमी • एसटीपी निर्माण–01 नग	82%
0.70 एमएलडी एसटीपी एवं सीवर लाइन, कंपनी गार्डन जोन	• सीवर लाइन– 3.74 किमी • एसटीपी निर्माण–01 नग	82%

कार्यवाही बिंदु 3–गंगा एवं उसकी सहायक नदियों में गिरने वाले नालों को टैप करने के लिए उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा प्रस्तावित सीवरेज योजनाओं की समीक्षा के कम में उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून शाखा द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में देहरादून के 100 वार्डों में से नव–गठित 40 वार्डो के सापेक्ष 15 वार्डो में यू0यू0एस0डी0ए0 (ए0डी0बी0) द्वारा सीवरेज की योजनायें क्रियान्वित की जा रही है। किंतु सीवरेज योजनाओं से छुटे हुए क्षेत्रों से प्रवाहित नाले गंगा एवं उसकी सहायक नदी में ही गिरते हैं जिसके कारण प्रत्यक्ष/परोक्ष रुप से गंगा नदी प्रदूषित हो रही है, उक्त के संबंध में मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर इन नालों को बंद करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के दृष्टिगत सीवरेज योजना से अवशेष/छूटे हुए क्षेत्रों को आच्छादित करने हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम की देहरादून शाखा द्वारा कार्ययोजना तैयार करने तथा शहर के पुराने 60 वार्डो के छूटे हुये क्षेत्रों को सीवरेज योजनाओं से संतृप्त करने के लिये पेयजल निगम द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत, विशेषतः गंगा नदी की सहायक नदियों जैसे बिन्दाल, रिस्पना, सुसवा, सौंग इत्यादि में देहरादून शहर के सीवरेज का प्रवाह प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से हो रहा है, के रोकथाम हेतु पेयजल निगम, दून शाखा द्वारा तैयार की गई योजनाओं की विभागीय तकनीकी स्वीकृति उपरांत राज्य स्तर से जनपद स्तरीय समिति से स्वीकृति उपरांत प्रेषित करने के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की गयी। जिसका विवरण निम्नवत हैः–

क्र0 सं0	योजना का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	योजना से होने वाले सम्भावित लाभ	टिप्पणी
01	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 79/2022 के अन्तर्गत पथरीयापीर, नीलकंठ विहार, इन्दिरा कॉलोनी एवं चक्कुवाला क्षेत्र में सीवर लाईन बिछाने एवं तत्सम्बन्धी कार्यो का प्राक्कलन।	1390.00	लगभग 2301 परिवारों को सीवरेज व्यवस्था से लाभ होगा।	पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।
02	रविन्द्रपुरी, अहीर मण्डी, हाथीबड़कला के छूटे हुये क्षेत्रों की	275.90	लगभग 286 परिवारों को लाभ होगा।	विभागीय व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक प्रस्तावित।

NOTARY ... Reg. No. ... Distt. Dehradun ... UTTRAHAND (INDIA)

क्र0 स0	योजना का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	योजना से होने वाले सम्भावित लाभ	टिप्पणी
	जलोत्सारण योजना।			
03	बैंक कॉलोनी, मोथरोवाला रोड, देहरादून जलोत्सारण योजना।	797.08	लगभग 418 परिवारों को लाभ होगा।	विभागीय समिति द्वारा अनुमोदित।
04	साकेत कॉलोनी, कैन्ट रोड, हाथीबड़कला जलोत्सारण योजना।	305.08	लगभग 284 परिवारों को लाभ होगा।	विभागीय व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक प्रस्तावित।
05	रिस्पना ट्रन्क सीवर के सुदृढ़ीकरण कार्य की जलोत्सारण योजना।	292.79	रिस्पना नदी में प्रदूषण मुक्त रखने हेतु।	विभागीय व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक प्रस्तावित।
06	वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली मार्ग एवं साकेत कॉलोनी, अजबपुर, देहरादून की पुर्नगठन जलोत्सारण योजना।	603.95	लगभग 470 परिवारों को लाभ होगा।	विभागीय समिति द्वारा अनुमोदित।
07	रायपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वार्ड संख्या 50, राजीव नगर के देवाचल विहार (मा0 मुख्यमंत्री घोषणा स0 362/2023 के अन्तर्गत) जलोत्सारण योजना।	755.19	लगभग 473 परिवारों को लाभ होगा।	विभागीय समिति द्वारा अनुमोदित।
08	बहुगुणा कॉलोनी एवं शक्ति विहार कॉलोनी निकट कारगी चौक जलोत्सारण योजना।	275.54	लगभग 237 परिवारों को लाभ होगा।	विभागीय व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक प्रस्तावित।
09	टर्नर रोड, सुभाष नगर (पार्ट– I–4) एवं निकटवर्ती क्षेत्रों की जलोत्सारण योजना।	5623.00	लगभग 2250 परिवारों को लाभ होगा।	प्राक्कलन विरचन का कार्य प्रगति पर।
10	संस्कृति लोक कॉलोनी (पार्ट– I–4) जलोत्सारण योजना।	1740.55	लगभग 1056 परिवारों को लाभ होगा।	मुख्य अभियन्ता (गढ0), उ0पे0नि0 पौडी के कायालय पत्रांक 02/कैम्प देहरादून दिनांक 24.12.2024 द्वारा तकनीकी स्वीकृति उपरान्त प्रधान कार्यालय को प्रेषित।
11	आई0एस0बी0टी0, हरिद्वार बाईपास ट्रंक सीवर पुर्नगठन योजना।	1473.84	लगभग 13377 परिवारों को लाभ होगा। आई0एस0बी0टी0 में होने वाले सीवर ओवरफ्लो की समस्या का निराकरण होगा।	प्राक्कलन विचरित, अग्रेतर कार्यवाही प्रगति पर।
12	शान्ती विहार, कौलागढ के अवशेष नये क्षेत्रों की जलोत्सारण योजना।	99.55	लगभग 91 परिवारों को लाभ होगा।	अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ0पे0नि0 देहरादून के पत्रांक 5705/प्राक्कलन/239 दिनांक 24.12.2024 द्वारा तकनीकी स्वीकृति उपरान्त प्रधान कार्यालय को प्रेषित।
13	साकेत कॉलोनी, आर्य नगर एवं कैनाल रोड (जोन–सी के छूटे हुये क्षेत्र) की जलोत्सारण योजना।	962.45	लगभग 1025 परिवारों को लाभ होगा।	मुख्य अभियन्ता (गढ0), उ0पे0नि0 पौडी के कार्यालय पत्रांक 03/कैम्प देहरादून दिनांक 22.01.2025 द्वारा तकनीकी स्वीकृति उपरान्त प्रधान कार्यालय को प्रेषित।
14	केवल विहार सहस्त्रधारा रोड की जलोत्सारण योजना।	468.22	लगभग 560 परिवारों को लाभ होगा।	मुख्य अभियन्ता (गढ0), उ0पे0नि0 पौडी के कायालय पत्रांक 02/कैम्प देहरादून दिनांक 22.01.2025 द्वारा तकनीकी स्वीकृति उपरान्त

Smt. Rukhsana Begum Advocate Distt. Dehradun STATE OF UTTRAKHAND (INDIA)

4

क्र0 सं0	योजना का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख मे)	योजना से होने वाले सम्भावित लाभ	टिप्पणी
				प्रधान कार्यालय को प्रेषित।
15	हरिद्वार बाईपास एवं अंजली विहार की जलोत्सारण योजना।	77.79	लगभग 180 परिवारों को लाभ होगा।	पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।
16	प्रेमनगर जलोत्सारण योजना।	9473.25	लगभग 8844 परिवारों को लाभ होगा।	पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।
17	क्लेमेन्ट टाउन सीवरेज योजना।	9525.41	लगभग 12256 परिवारों को लाभ होगा।	मुख्य अभियन्ता (गढ0), उ0पे0नि0 पौड़ी के कार्यालय पत्रांक 01/कैम्प देहरादून दिनांक 24.12.2024 द्वारा तकनीकी स्वीकृति उपरान्त प्रधान कार्यालय को प्रेषित।
18	जोन-जी 2 देहरादून जलोत्सरण योजना।	9842.39	लगभग 6963 परिवारों को लाभ होगा।	प्रधान कार्यालय दिनांक 25.11. 2024 को शहरी विकास निदेशालय को प्रेषित।
19	सहस्त्रधारा रोड जलोत्सारण योजना	28800.00	लगभग 14800 परिवारों को लाभ होगा।	प्राक्कलन विचरन का कार्य प्रगति पर।
20	सेलाकुई देहरादून में नालों के आई0 एण्ड डी0 कार्यो एवं 9.00 एम0एल0डी0 क्षमता के सी0ई0टी0पी0 योजना।	13202.95	सेलाकुई क्षेत्र की जनता को सीवरेज व्यवस्था का लाभ होगा।	स्वीकृति एवं धनावंटन हेतु एन0एम0सी0जी0, नई दिल्ली को प्रेषित।
21	इन्द्रलोक विहार एवं कैपिटल ग्रीन्ज होम कालोनी निकट हरिद्वार बाइपास रोड़,देहरादून की जलोत्सारण योजना।	335.00	लगभग 190 परिवारों को लाभ होगा।	विभागीय समिति द्वारा अनुमोदित। शासनादेश अपेक्षित।

उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून शाखा द्वारा उपरोक्त सीवरेज योजनाओं की योजनावार प्रस्तुतीकरण द्वारा अवगत कराया गया कि इन योजनाओं से लगभग 66080 परिवारों की 330400 जनसंख्या को प्रत्यक्ष रूप से लाम मिलेगा एवं 36 एम0एल0डी0 सीवेज का शोधन किया जा सकेगा, जिससे पर्यावरण पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इन योजनाओं के माध्यम से उपरोक्त लाभान्वित क्षेत्रों में 315000.00 मी0 सीवरेज लाईन बिछाने तथा 30 एम0एल0डी0 सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण कार्य प्रस्तावित किये गये है। इन समस्त योजनाओं की कुल लागत लगभग रू0 870.00 करोड़ आंकलित की गई है। उपरोक्त में से कुछ सीवरेज योजनाओं को वर्तमान में संचालित एस0टी0पी0 से जोड़े जाने का प्रस्ताव भी है, ताकि पूर्व से निर्मित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का अधिकतम उपयोग किया जा सके। जिसके कम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा गंगा एवं उसकी सहायक नदियों में गिरने वाले नालों को रोकने के लिए प्रस्तुत प्रस्तावों पर सैद्धातिक सहमति प्रदान करते हुए जनपद स्तरीय तकनीकी परीक्षण समिति (T.A.C.)से परीक्षण कराकर प्रेषित करने के निर्देश दिये।

(कार्यवाही-उत्तराखण्ड पेयजल निगम, दून शाखा, देहरादून।)

कार्यवाही बिंदु 4-जनपद देहरादून में स्थापित सैप्टेज/एस.टी.पी. के कार्य-प्रदर्शन एवं रख-रखाव की समीक्षा कीगई जिसके कम में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि एसटीपी की निगरानी हेतु जिला गंगा संरक्षण समिति द्वारा गठित निगरानी समिति द्वारा प्रत्येक एसटीपी की निरीक्षण आख्या देहरादून शहर के 07 एसटीपी की प्राप्त हुई है। जबकि समस्त एसटीपी की जांच रिपोर्ट बैठक से प्रस्तुतकिये जाने के निर्देश है। जिसके कम में अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त एसटीपी की जांच रिपोर्ट प्रत्येक बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

(कार्यवाही-समस्त जोन उत्तराखण्ड जल संस्थान/पेयजल निगम, देहरादून)

कार्यवाही बिंदु 5:-घरेलू एवं अघरेलू सीवर संयोजन, नाला टेपिंग एवं सफाई-

उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश द्वारा अवगत कराया गया कि पिछली बैठक के उपरान्त 04 घरेलू भवनों 07 अघरेलू भवनों को सीवर से संयोजित किया गया है। वर्तमान तक 10101 भवनों में

Smt. Rukhsana Begum
Reg. No. 01/2002
Distt. Dehradun
STATE OF UTTARAKHAND (INDIA)

सीवर लाईन से संयोजित करने हेतु के0एफ0डब्लू0 पोषित योजना से सीवर लाईन बिछायी जा रही है। उक्त सभी भवनों के अपने सेप्टिक/सोकपिट निर्मित हैं।

(कार्यवाही– उत्तराखण्ड जल संस्थान/पेयजल निगम, ऋषिकेश)

कार्यवाही बिंदु 6:– गंगा एवं उसकी सहायक नदियो में गिरने वाले नालों के सर्वेक्षण की समीक्षा के क्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि आगामी बैठक से पूर्व समस्त जनपद क्षेत्र के टैप नालों एवं टैप करने योग्य नालों की सूची डी.पी.आर. के साथ प्रेषित करें।

(कार्यवाही– समस्त जोन उत्तराखण्ड जल संस्थान/उत्तराखण्ड पेयजल निगम/ जिला पंचायत/पंचायतीराज, देहरादून)

कार्यवाही बिंदु 7–गंगा एवं उसकी सहायक नदी परिक्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण कार्य की समीक्षा के संबंध में निर्देश दिए गए कि जनपद में संचालित समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठानों यथा होटल, आश्रम, मॉल, चिकित्सालय इत्यादि को दिए गए सहमति प्राधिकार नियमानुसार दिये जायें। साथ ही जनपद के औद्योगिक क्षेत्र में निर्मित/निर्माणाधीन/प्रस्तावित ट्रीटमेंट प्लांट, आवासीय कालोनी में निर्मित एस0टी0पी0 का पूर्ण विवरण आगामी बैठक से पूर्व समिति को उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही–उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून)

कार्यवाही बिंदु 8–गंगा एवं उसकी सहायक नदियों में बाढ़ नियंत्रण की समीक्षा।

1. सिंचाई विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि रिस्पना नदी बाढ़ परिक्षेत्र का 25 से 100 वर्ष की बाढ़ आवृति का चिन्हांकन संबधी सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करते हुए, रिस्पना नदी के उद्गम स्थल शिखर फाल से ग्राम चालंग राजपुर होते हुए मोथरोवाला संगम तक सजरा शीट से परिसंपत्ति रजिस्टर बनाने की प्रकिया पूर्ण की गई है।
2. सुसवा एवं सोंग नदी बाढ़ परिक्षेत्र का 25 से 100 वर्ष की बाढ़ आवृति का चिन्हांकन करते हुए सर्वेक्षण कार्य पूर्ण तथा सजरा शीट से परिसपत्ति रजिस्टरों को बनाने की प्रकिया राजस्व विभाग द्वारा की जा रही है। जिसके कम में अध्यक्ष महोदय द्वारा सजरा शीट से परिसपत्ति रजिस्टर बनाने का र्यि अतिशीघ्र पुर्ण करने के निर्देश दिये।

(कार्यवाही–सिंचाई विभाग एवं राजस्व विभाग, देहरादून)

कार्यवाही बिंदु 9–खदरी खड़कमाफ़ में पूजाघाट एवं शवदाह गृह बनाने की प्रस्तुत कार्ययोजना के संबंध में सिंचाई विभाग, ऋषिकेश द्वारा गंगा ग्राम खदरी खड़कमाफ में पूजा घाट एवं शवदाह गृह की डीपीआर रु0305.64 लाख की प्रस्तुत की गई । उक्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर अध्यक्ष महोदय द्वारा जनपद स्तरीय तकनीकी परीक्षण समिति (T.A.C.)से परीक्षण कराकर प्रेषित करने के निर्देश दिये।

(कार्यवाही–सिंचाई विभाग, ऋषिकेश एवं देहरादून)

कार्यवाही बिंदु 10–नगर निकायों में साफ–सफाई एवं सैप्टेज प्रबंधन की समीक्षा–
अध्यक्ष महोदय ने समस्त नगर निकायों को निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार की गंदगी गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे पर एकत्रित न हो, इस कार्य को सुनिश्चित करने हेतु समय–समय पर विभाग द्वारा टीम गठित कर निरीक्षण करें। उक्त के साथ ही समस्त नगर निकाय स्लज वाहनों का शत–प्रतिशत पंजीकरण करते हुए स्लज वाहनों पर जीपीएस ट्रैकिंग यंत्र अनिवार्य रुप से स्थापित करें।

(कार्यवाही–समस्त नगर निगम/नगरपालिका/नगर पंचायत/पंचायतीराज विभाग, देहरादून)

कार्यवाही बिंदु 11–सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम हेतु की गई कार्यवाही की समीक्षा–
अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि जिले में एकल प्रयोग की पॉलीथीन पूर्णरुप से प्रतिबंधित है। इसके लिए संबधित विभाग Single Use Plastic का प्रयोग को रोकने के लिए खुदरा व्यापारियों के साथ ही साथ प्रतिबंधित पॉलीथीन की आपर्ति करने वाले थोक व्यापारियो पर छापेमारी की जाये जिससे बाजार में प्रतिबिंधित पॉलीथीन के प्रयोग को बंद किया जाये।

(कार्यवाही–समस्त नगर निगम/नगरपालिका/नगर पंचायत, देहरादून)

NOTARY
Smt. Rukhsana
Reg. No.
Distt. Dehradun
STATE OF UTTRAKHAND (INDIA)

कार्यवाही **बिंदु** 12–जिला गंगा योजना(डी.जी.पी.) प्रगति की समीक्षा की गई जिसके कम में अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त विभागों को निर्देश दिया कि गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के संबधित विभाग की सूचना/कार्ययोजना तत्काल प्रेषित करें।

(कार्यवाही– समस्त विभाग)

कार्यवाही अन्य बिंदु–अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि–

1. जिला गंगा संरक्षण समिति गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के संरक्षण हेतु अर्थ गंगा के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण एवं जनजागरुकता कार्यकम प्रस्ताव तैयार प्रस्तुत करें।
2. नगर क्षेत्र में संचालित छोटी–बड़ी समस्त डेरियों से से निकलने वाले अपशिष्टों के सीवर लाइन एवं आई. एण्ड डी. में अवरोध उत्पन्न होता है। जिसके कम में डेरी अपशिष्टों के निस्तारण की कार्ययोजना बनाने तथा उन्हें सूचीबद्ध करने का निर्देश दिये।
(कार्यवाही–समस्त नगर निगम/नगरपालिका/नगर पंचायत/जिला गंगा संरक्षण समिति, देहरादून)

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गयी।

//ह0//
(सविन बंसल)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला गंगा संरक्षण समिति
देहरादून।

पत्रांक 229/जि0गं0सु0स0/2024–25 दिनांक: 28 फरवरी, 2025

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. कार्यक्रम निदेशक, राज्य गंगा स्वच्छ मिशन, नमामि गंगे, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला गंगा संरक्षण समिति, देहरादून।
3. उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्रधिकारण, देहरादून।
4. प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव, जिला गंगा सुरक्षा समिति, देहरादून।
5. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।
6. अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व, देहरादून।
7. नगर आयुक्त, नगर निगम, ऋषिकेश।
8. समस्त उप जिलाधिकारी, देहरादून।
9. अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान एवं पेयजल निगम, देहरादून।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान एवं पेयजल निगम, देहरादून।
11. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नेहरू कॉलोनी, देहरादून।
12. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत, देहरादून।
13. समस्त सदस्य, जिला गंगा संरक्षण समिति, देहरादून।

उ०स०। ह०, 28.02.25
(कृष्ण कुमार मिश्रा)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं रा0)
देहरादून।

(अभिनव शाह)
मुख्य विकास अधिकारी
देहरादून।
28/2/25

NOTARY
Smt. Rukhsana Bano
Reg. No.
STATE OF UTTARAKHAND (INDIA)

दिनांक 22 फरवरी 2025 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आहूत जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक की उपस्थिति :–

क्र0स0	नाम	पदनाम	मोबाइल नंम्बर	हस्ताक्षर
1	श्री सविन बंसल	जिलाधिकारी		
2	श्री अभिनव शाह	मुख्य विकास अधिकारी		[signature]
3	श्री ~~कृष्णकांत मिश्र~~ श्री कृष्णा कुमार मिश्रा	अपर जिलाधिकारी (F&R)	7351522222	[signature]
4	श्री नीरज कुमार	प्रभागीय वनाधिकारी ~~हिमानी~~		[signature]
5	गौरव चटवाल	OC/Dy. collector	7830317587	[signature]
6	[illegible]		[illegible]	[signature]
7	डी. एस. उनियाल	[illegible]	8630[illegible]	[signature]
8	Pratijush Sharma	SWAN Engg.	8077246098	[signature]

[signature]

NOTARY
Smt. Rukhsana Begum
Advocate
Reg. No. [illegible]
Distt. Dehradun
STATE OF UTTARAKHAND INDIA

2002

दिनांक 22 फरवरी 2025 को जिला गंगा संरक्षण समिति, देहरादून की बैठक की उपस्थिति

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाइल सं0	हस्ताक्षर
1	श्री सविन बंसल	जिलाधिकारी		
2	श्री अभिनव शाह	मुख्य विकास अधिकारी		
3	Pankaj Gupta	President Industries Association of Uttarakhand	9412050047	
4	डा० विनोद प्रसाद जुगलान	पर्यावरणविद् नामित सदस्य	8077456003	
5 -	Jeet mami	EE.	9105555112	
6	Abhishek Maithani	SDFO, Dehradun Forest Division	7895025790	
7	Anil Vaid	Jal Sansthan (North)	9412050578	
8	Hoant Gupta	EE Irrigation	9410368328	
9	Sachin Singh Rawat	CSI NPP Doiwala	9758897878	
10	Uttam Singh Negi	E.O. N.P.P. Doiwala	8445687487	
11	Arafat Islam	I-C SWM Mussoorie	8989616910	
12	S.K. VERMA.	Project Manager. C&DS Unit (Ganga) UKPJN Rishikesh.	9412929493	
13	Jaladar Singh	SI. NPP Herbertpur	9720852171	
14	B.L. Arya	E.O NPP Herbatpur	9412057368	
15	Harish Bansal	Ex. En. Jal Sansthan. (Ganga) Rishikesh.	9368106800	
16	Gopal Ram Binwal	UMA (MND)	9639090705	
17	Shailendra Singh Negi	MNA (R)	9410771899	
18	Alok Jain	A.E. P.W.D. Rishikesh	9557998164	
19	Amitkumar	E.E UJS Mussoorie	7500005714	

NOTARY
Smt. ... Begum
Reg. No. 20(01)2...
Distt. Dehradun
STATE OF UTTRAKHAND (INDIA)

दिनांक 22 फरवरी 2025 को जिला गंगा संरक्षण समिति, देहरादून की बैठक की उपस्थिति

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाइल सं0	हस्ताक्षर
20	Ganesh Kumar Bhatt	अ0 अ0 अ0 जिला प्रशा0	9105906053	[signature]
21	Gurmeet Singh	MIS Expert N. Nigam Rishikesh	9690150167	[signature]
22	Rishabh Sharma	FN. Supervisour	8630383047	[signature]
23	Dr. P.C. Joshi	Social Management SPMG, SMCG	9412044394	[signature]
24	Deepak Verma	Project Engineer UPJN. Rishikesh	9368499792	[signature]
25	B. P. Bhatt	EO NPP Vikas nagar	9412921134	[signature]
26	Mohit Pathak	T.S NPP Vikasnagar	9760786879	[signature]
27	Firoz Khan	A/C	9837068432	[signature]
28	Rahul Kainthola	Tax Supdt. NN D.Dun	7409777799	[signature]
29	Rajeev Vishwakarma	A.E. Jal Nigam	9847 [illegible]	[signature]
30	Ashish Bhatt	Executive (South) Engineer	9411113820	[signature]
31	Sanjay Singh	E.E. UJS North	7895652528	[signature]
32	Ravi Kumar AE	Peyjal Nigam	7830560880	[signature]
33	C.S. Kandwal	A.E., Peyjal Nigam	9412057280	[signature]
34	Anil Gupta	EE MDDA	9412348641	[signature]
35	J.K. Tejwani	EE, P.D. PWD Dehradun	9411115445	[signature]
36	Sanjeev Verma	EE UKPJN Mussoorie	8477006107	[signature]
37	Pravin Singh	AE. P.D. PWD Dehradun	9756993100	[signature]

38. Ravi Kant Pandey, DPO, DGPC

[signature]

NOTARY Smt. Rukhsana Bagum Reg. No. 20 (01)2002 Distt. Dehradun STATE OF UTTRAKHAND (INDIA)

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून।

संशोधित/अति महत्वपूर्ण

दिनांक:-12 मार्च, 2025

संख्या:-309 एल0बी0सी0-2025

सेवा में,

1.उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून।
2. नगर आयुक्त,नगर निगम, देहरादून।
3 अधीक्षण अभियन्ता, सिचाई विभाग, देहरादून।
4.अधीक्षण अभियन्ता, पेयजल निगम, देहरादून।

विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित मूल आवेदन संख्या- 417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य मे पारित आदेश दिनांक 16.12.2024 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य मे पारित आदेश दिनांक 16.12.2024 के कम मे जिला गंगा संरक्षण समिति की मासिक बैठक दिनांक 22.02.2025 को सम्पादित की गई थी जिसमें उक्त प्रकरण के संबंध में बैठक की कार्यवाही में यह निर्णय लिया गया था कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के संबंध में अनुपालन जिसमें मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा Civil Appeal No- 1440 of 2025, उत्तराखण्ड राज्य व अन्य बनाम निरंजन बागछी में पारित आदेश दिनांक 10 फरवरी 2025 के कम में नगर निगम देहरादून, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, मसूरी नगर पालिका, पेयजल निगम, सिचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग व अन्य सभी सम्बन्धित विभाग जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार दिनांक 07.10.2016 की धारा 6 की उप धारा 3 के प्रावधान का सख्ती से अनुपालन करने तथा इस आदेश/अधिसूचना के लागू होने से पहले रिस्पना नदी के अधिसूचित बाढ परिक्षेत्र में यदि कोई नियम विरुद्ध संरचना बनाई गयी है, जो रिस्पना नदी में सतत जल प्रवाह को प्रदूषित करने के साथ-साथ बाधित कर रही है, को संबधित विभाग उक्त अधिसूचना की धारा 6 की उपधारा 3 के द्वितीय परन्तुक के अनुक्रम में ऐसी समस्त संरचनाओं को 28.02.2025 तक चिन्हित करते हुए तत्काल हटाये, उक्त के क्रम में सम्बन्धित विभागों द्वारा ऐसी समस्त संरचनाओं को चिन्हित करने एवं कितनी संरचनाओं को हटाया गया है, के सम्बन्ध में विभाग विस्तृत व सुस्पष्ट अनुपालन आख्या जिला मजिस्ट्रेट देहरादून के कार्यालय में दिनाक 07 मार्च 2025 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। उक्त बैठक में आप स्वयं भी उपस्थित थे, उक्त बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 1 के कम में आज दिनांक तक आपके द्वारा अनुपालन आख्या इस कार्यालय में अप्राप्त है। उक्त कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 1 के अनुपालन हेतु दिनांक 15.03.2025 को समय 11:00 प्रातः बजे बैठक आहूत की गई है जिसमे कृत कार्यवाही की समीक्षा अध्यक्ष जिला गंगा संरक्षण समिति द्वरा की जायेगी।

अतः जिला गंगा संरक्षण समिति की मासिक बैठक दिनांक 22.02.2025 के कार्यवृत्त की छायाप्रति पुनः संलग्नकर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार अपनी अनुपालन आख्या सहित दिनांक 15.03.2025 को नियत समय पर ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट देहरादून मे स्वयं उपस्थित होने का कष्ट करे, कार्यवृत्त की बिन्दु संख्या 1 के अनुपालन न होने की दशा में मा0 हरित अधिकरण द्वारा यदि कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होगे पुनश्चः प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण का होने के कारण आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्न-।

भवदीय,

12-03-25

(कृष्ण कुमार मिश्रा)
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
देहरादून।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1:- सचिव आवास देहरादून।
2:- सचिव लोक निर्माण विभाग देहरादून।
3:- सचिव सिचाई विभाग, देहरादून।
4:- सचिव पेयजल निगम, देहरादून।
5:- सचिव शहरी विकास देहरादून।

NOTARY ★ Smt. Rukhsana Begum Advocate Reg. No. ... Distt. Dehradun ★ STATE OF UTTRAKHAND (INDIA)

12-03-25

(कृष्ण कुमार मिश्रा)
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
देहरादून।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) देहरादून की अध्यक्षता मे दिनांक 15.03.2025 को समय 11:00 बजे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली मे योजित मूल वाद संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य मे पारित आदेश दिनांक 13.02.2025 के अनुपालन मे आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति–

1:– उप नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून।
2:– अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई व पेयजल विभाग देहरादून।
3:– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई व एम0डी0डी0ए0, पेयजल निगम, लोक निर्माण विभाग।
4:– सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग देहरादून।
5:– सहायक अभियन्ता, सिचांई विभाग देहरादून।

1:– प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध मे दिनांक 22.02.2025 को जिला गंगा सुरक्षा समिति देहरादून की बैठक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता मे आहूत की गयी। उक्त बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या–01 मे निम्न निर्देश दिये गये थे:–

बिन्दु संख्या 1– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के संबंध में अनुपालन आख्या समीक्षा की गई जिसमे मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा Civil Appeal No-1440 of 2025 उत्तराखण्ड राज्य व अन्य बनाम निरंजन बागची में पारित आदेश दिनांक 10 फरवरी 2025 के कम में नगर निगम देहरादून, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, मसूरी नगर पालिक, पेयजल निगम, सिचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग व अन्य सभी सम्बन्धित विभाग जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार दिनांक 07.10.2016 की धारा 6 की उप धारा 3 के प्रावधान का सख्ती से अनुपालन करने तथा इस आदेश/अधिसूचना के लागू होने से पहले रिस्पना नदी के अधिसूचित बाढ़ परिक्षेत्र में यदि कोई नियम विरुद्ध संरचना बनाई गयी है, जो रिस्पना नदी में सतत जल प्रवाह को प्रदूषित करने के साथ–साथ बाधित कर रही है, को संबधित विभाग उक्त अधिसूचना की धारा 6 की उपधारा 3 के द्वितीय परन्तुक के अनुक्रम में ऐसी समस्त संरचनाओं को 28.02.2025 तक चिन्हित करते हुए तत्काल हटाये। उक्त के क्रम में सम्बन्धित विभागों द्वारा ऐसी समस्त संरचनाओं को चिन्हित करने एवं कितनी संरचनाओं को हटाया गया है, के सम्बन्ध में विभाग विस्तृत व सुस्पष्ट अनुपालन आख्या जिला मजिस्ट्रेट देहरादून के कार्यालय में दिंनाक 07 मार्च 2025 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही– नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून/उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मसूरी/अधीक्षण अभियन्ता पेयजल निगम/अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई विभाग देहरादून/अधीक्षण अभियन्ता पीडब्ल्यूडी देहरादून)

2:– दिनांक 22.02.2024 को आहूत बैठक के बिन्दु संख्या–01 के सम्बन्ध मे आख्या/रिपोर्ट इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु पुनः पत्र संख्या–300/एल0बी0सी0–2025 दिनांक 12.03.2025 को दिनांक 15.03.2025 तक बिन्दु संख्या–01 (उपरोक्तानुसार) का अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने हेतु जारी किया गया।

(कार्यवाही– उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून, नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग देहरादून व अधीक्षण अभियन्ता, पेयजल निगम देहरादून)

NOTARY
Smt. Rukhsana ...
Reg. No. 20...
Distt. Dehradun
STATE OF UTTRAKHAND (INDIA)

3:- आज दिनांक 15.03.2025 को बैठक मे उपस्थित सम्बन्धित विभागो के अधिकारियों द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके द्वारा अवैध अतिकमण हटाये जाने हेतु समन्वय स्थापित कर संयुक्त टीम गठित कर दिनांक 17.03.2025 से बिन्दु संख्या-01 के कम मे (उपरोक्तानुसार) दिये गये निर्देशानुसार चिन्हीकरण और हटाये जाने हेतु कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिसके सम्बन्ध मे पत्र संख्या-614/भूमि/2025 दिनांक 12.03.2025 उपलब्ध कराया गया। (छायाप्रति संलग्न)

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून, उप नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून, अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई विभाग व अधीक्षण अभियन्ता, पेयजल निगम व अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग देहरादून)

4:- इसके साथ ही बैठक मे अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम देहरादून के पत्र संख्या-कैम्प/01 दिनांक 15.03.2025 के द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 22.02.2025 को आहूत जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक मे दिये गये निर्देशों के व दिनांक 15.03.2025 को आहूत बैठक के निर्देशों के कम मे अवगत कराया गया कि मा0 एन0जी0टी0 मे योजित मूल वाद संख्या-417/2022 के कम मे इस शाखा द्वारा प्रस्तावित कार्य को सम्पादित कर पूर्ण कर लिया गया है और मा0 अधिकरण मे शपथ पत्र दाखिल कर लिया गया है दाखिल किये गये शपथ पत्र दिनांक 10.03.2025 की प्रति बैठक मे उपलब्ध करायी गयी। (छायाप्रति संलग्न)

5:- बैठक मे उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि सभी विभाग कार्यवृत्त दिनांक 22.02.2025 के बिन्दु संख्या 01 का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करेगें। यदि उनके द्वारा नियत समय के भीतर उक्त निर्देशों का अनुपालन नही किया जाता है तो सम्बन्धित विभाग/अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उसके उत्तरदायी होगे और अनुपालन न होने के दशा मे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश पारित किये जाते हैं तो उसके जिम्मेदार वह स्वयं होगे।

अतः अन्त मे धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गयी।

15.03.25
(कृष्ण कुमार मिश्रा)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
देहरादून।

।। कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।।

संख्या- 303 /एल0बी0सी0/2025 दिनांक 15 मार्च, 2025

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1:- जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2:- उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून।
3:- नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून।
4:- अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान एवं पेयजल निगम देहरादून।
5:- अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग देहरादून।

15.03.25
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
देहरादून।

NOTARY
Smt. Rukhsana Bano
Advocate
Reg. No.
Distt. Dehradun
STATE OF UTTRAKHAND (INDIA)

कार्यवृत्त

दिनांक 12.03.2025 को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 417/2022 निरंजन वागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बंध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता दिनांक 22.02.2025 को दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून की अध्यक्षता में एक आवश्यक बैठक आयोजित की गयी। बैठक मे निम्न विभाग के अधिकारी उपस्थित रहेः–

1. अधिशासी अभियन्ता, एम0डी0डी0ए0 देहरादून।
2. सहायक अभियन्ता, सिचाई विभाग देहरादून।
3. कर अधीक्षक (भूमि), नगर निगम देहरादून।
4. नायब तहसीलदार (सेवा निवृत्त) संविदा, नगर निगम देहरादून।

बैठक में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली मे योजित वाद संख्या 417/2022 निरंजन वागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बंध में सिंचाई विभाग से Flood Plain Zone के सम्बंध में चर्चा की गयी। सहायक अभियन्ता, सिचाई विभाग देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि Flood Plain Zone का अंतिम नोटिफिकेशन जिलाधिकारी/बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिकारी देहरादून के माध्यम से शासन को प्रेषित किया गया है। अभी अंतिम नोटिफिकेशन की कार्यवाही गतिमान है। जिलाधिकारी महोदय, देहरादून द्वारा दिनांक 22.02.2025 को जल संसाधान नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 07.10.2016 की धारा 6 की उप धारा 3 के प्राविधानों के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों के क्रम में सिंचाई विभाग से Flood Plain Zone चिह्निकरण से सम्बन्धित पीलरबंदी/नक्शा तथा आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये तथा सिंचाई विभाग द्वारा 25 वर्ष एवं 100 वर्ष के आधार पर Flood Plain Zone के आधार पर ऐसी संरचनाये जो रिस्पना नदी के सतत् जल प्रवाह को प्रदूषित करने के साथ–साथ बाधित कर रही हो को चिह्नित करने व हटाये जाने के लिए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु संयुक्त टीम गठित कर दिनांक 17.03.2025 से कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

(कार्यवाहीः– अधि0अभि0 अनु0एवं नियोजन खण्ड सिंचाई विभाग देहरादून/अधि0अभि0 एम0डी0डी0ए0/कर अधीक्षक (भूमि) नगर निगम देहरादून)

ह0–
अपर नगर आयुक्त,
नगर निगम देहरादून।

कार्यालय नगर निगम देहरादून।

दिनांक 12 मार्च 2025

संख्याः– 614 /भूमि/2025

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी महोदय देहरादून।
2. नगर आयुक्त महोदया, नगर निगम देहरादून।
3. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), देहरादून।
4. सचिव, एम0डी0डी0ए0 देहरादून।
5. अधिशासी अभियन्ता, अनु0 एवं नियोजन खण्ड, सिंचाई विभाग देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित को अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

कर अधीक्षक (भूमि),
नगर निगम देहरादून।

Smt. ... Reg. No. ... Distt. Dehradun ... OF UTTRAKHAND (INDIA)

कार्यालय : 0135–2753150
E-mail: doondivn@gmail.com

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
कार्यालय : अधिशासी अभियन्ता, देहरादून शाखा,

गली नं0 11, राजेन्द्र नगर, देहरादून –248001

पत्रांक : Camp / 01 / दिनांक : 15·03·25

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध मे।

महोदया,

उपरोक्त विषयक अवगज कराना है कि दिनांक 22.02.2025 को आहूत जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक में दिये गये निर्देशों के एवं दिनांक 15.03.2025 को अपर जिलाधिकारी(वि0) के कार्यालय कक्ष में आहूत बैठक के कम में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के कम में इस शाखा द्वारा प्रस्तावित कार्यो को सम्पादित कार्यो को पूर्ण कर लिया गया है एवं उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा माननीय न्यायालय में विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिवक्ता श्री राहुल वर्मा को आबद्ध करने के उपरान्त माननीय अधिकरण में शपथपत्र दायर/दाखिल कर दिया गया है। जिसकी प्रति एवं विभाग द्वारा कृत कार्यवाही से सम्बन्धित शपथपत्र की प्रति संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(जीतमणि बैलवाल)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिला गंगा संरक्षण समिति देहरादून।
2. महाप्रबन्धक (बा0सहा0कार्य0/जे0जे0एम0 अर्ब0), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
3. महाप्रबन्धक (गंगा), निर्माण मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार।
4. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
5. अधिशासी अभियन्ता (विधि), प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।

अधिशासी अभियन्ता

NOTARY
STATE OF UTTRAKHAND (INDIA)

जिला गगा सुरक्षा समिति, देहरादून की मासिक बैठक

दिनांक 26 मार्च, 2025 का कार्यवृत।

जिला गंगा सुरक्षा समिति देहरादून की बैठक जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 26.03.2025 को कलेक्ट्रेट स्थित एन.आई.सी. सभागार में संपादित की गई।

बैठक की उपस्थिति- सूची संलग्न

पूर्व की बैठक में दिये गये निर्देशो के क्रम में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत अनुपालन आख्या तथा कार्यो की अद्यतन् प्रगति समीक्षा के उपरान्त कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु निम्नवत् आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये:-

कार्यवाही बिंदु 1-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के संबंध में अनुपालन आख्या समीक्षा की गई जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 13.02.2025 के सम्बन्ध मे दिनांक 22.02.2025 को जिला गंगा सुरक्षा समिति देहरादून की मासिक बैठक आहूत की गयी थी उक्त बैठक के बिन्दु संख्या-01 मे निर्देश दिये गये थे, कि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा Civil Appeal No- 1440 of 2025 उत्तराखण्ड राज्य व अन्य बनाम निरंजन बागछी में पारित आदेश दिनांक 10 फरवरी 2025 के कम में नगर निगम, देहरादून, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, नगर पालिका, मसूरी, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, सिचांई विभाग, लोक निर्माण विभाग व अन्य सभी सम्बन्धित विभाग- जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 07.10.2016 को जारी अधिसूचना की धारा 6 की उप धारा 3 के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन करने तथा इस आदेश/अधिसूचना के लागू होने से पहले रिस्पना नदी के अधिसूचित बाढ़ परिक्षेत्र में यदि कोई नियम विरुद्ध संरचना बनाई गयी है, जो रिस्पना नदी में सतत जल प्रवाह को प्रदूषित करने के साथ-साथ बाधित कर रही है, को संबधित विभाग उक्त अधिसूचना की धारा 6 की उपधारा 3 के द्वितीय परन्तुक के अनुक्रम में ऐसी समस्त संरचनाओं को 28.02.2025 तक चिन्हित करते हुए तत्काल हटाये जाने के निर्देश दिये गये तथा सम्बन्धित विभागों द्वारा ऐसी समस्त संरचनाओं को चिन्हित करने एवं कितनी संरचनाओं को हटाया गया है, के सम्बन्ध में विभाग विस्तृत व सुस्पष्ट अनुपालन आख्या जिला मजिस्ट्रेट देहरादून के कार्यालय में दिंनाक 07 मार्च 2025 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश जिलाधिकारी/अध्यक्ष महेदय द्वारा दिये गये थे।

जिसके कम में सम्बन्धित विभागों द्वारा दिनांक 12.03.2025 तक अनुपालन आख्या इस कार्यालय मे उपलब्ध न कराये जाने के कारण अनुस्मारक पत्र संख्या-300/एल0बी0सी0-2025 दिनांक 12.03.2025 को प्रेषित किया गया तथा दिनांक 15.03.2025 को समय 11:00 बजे पुनः

NOTARY
Smt. Rukhsana [illegible]
Reg. No. [illegible]
Distt. [illegible]
STATE OF UTTRAKHAND (INDIA)

समीक्षा जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम मे अपर जिलाधिकारी (नि0एवंरा0) की अध्यक्षता मे बैठक आहूत की गई, जिसमे सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने हेतु समन्वय टीम गठित कर दिनांक 17.03.2025 से चिन्हीकरण और हटाये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

सम्बन्धित अधिकारियों को बार–बार निर्देश दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध न कराये जाने के कारण दिनाक 17.03.2025 को प्रकरण की सुनवाई के दौरान मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा कड़ा रोष प्रकट करते हुये सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही किये जाने के भी निर्देश दिये गये। जिस हेतु जिलाधिकारी कार्यालय से पत्रांक 304 / एल0बी0सी0–2025 दिनांक 17 मार्च 2025 के द्वारा उपरोक्त निर्देशों हेतु पुनः पत्र प्रेषित किये गये।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश व दिनांक 22.02.2025 को आहूत बैठक के बिन्दु संख्या 01 मे दिये निर्देशो के अनुपालन मे अनिवार्य रूप से कार्यवाही करने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी कार्यालय के पत्र संख्या 315 / एलबीसी–2024 दिनांक 22 मार्च 2025 के द्वारा दिनांक 24.03.2025 तक आख्या / रिपोर्ट इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित तथा विलम्ब होने अथवा कार्य मे शिथिलता बरतने की दशा मे सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति करने हेतु विवश होना पड़ेगा तथा जिसके जिम्मेदार वह स्वयं होगे। किंतु आतिथि तक नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून, उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका मसूरी, अधीक्षण अभियंता, सिंचाई विभाग द्वारा अनुपालन आख्या प्राप्त नहीं हुई है। साथ ही नियत समय तक अनुपालन आख्या दाखिल न करने की दशा में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश पारित किये जाने की दशा में संबधित विभाग के अधिकारी स्वयं जिम्मेदार एवं स्वयं ही पक्षकार बनेंगे एवं यह भी उल्लेखनीय है कि यदि संबधित विभाग द्वारा नियत समय तक अनुपालन आख्या दाखिल नहीं की जाती है तो जिला गंगा संरक्षण समिति द्वारा जो Status Report/ Response दाखिल किया जाना है, उसमें भी यह तथ्य अंकित किया जायेगा कि संबधित विभाग द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी है तथा संबधित विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की संस्तुति कर दी जायेगी।

(कार्यवाही– नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून / उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण / अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका मसूरी / अधीक्षण अभियन्ता, पेयजल निगम / अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून / अधीक्षण अभियन्ता, पी.डब्ल्यू.डी., देहरादून)

NOTARY
Smt. R...
Reg. No.
Distt. Dehradun
STATE OF UTTRAKHAND (INDIA)

कार्यवाही बिंदु 2:-गंगा बेसिन में ऋषिकेश में नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित/निर्माणाधीन एस0टी0पी0 एस0पी0एस0 एवं सीवर लाइन की प्रगति-

परियोजना अभियन्ता नि0अनु0 इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश द्वारा आई0एण्ड0डी0, 26 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 के कार्यों की अद्यतन प्रगति समिति के सम्मुख निम्नवत् प्रस्तुत की गयी-

योजना का नाम	प्रस्तावित कार्य		स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त के सापेक्ष व्यय	अभियुक्ति
ऋषिकेश जलोत्सारण योजना (आई0एण्ड0डी0) एव 26 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0			15800.0 लाख	11074.72 लाख	10963.058 लाख	26 एम.एल.डी. एस.टी.पी., 03 एस.पी.एस.11.39 कि.मी. ग्रेविटी सीवर एव1.97 किमी0 राइसिंग मैन का कार्य पूर्ण एवं अनुरक्षणाधीन
के0एफ0डब्लू0 जर्मन बैंक द्वारा पैकेज-5	• सीवर लाइन • घरेलू सीवर कनेक्शन • पंपिंग स्टेशन	• 65.58 किमी • 5349 नग • 02 नग	183.09 करोड	10.00 करोड़	3.81 करोड (2%)	• Well curb सहित 7.50 मी0 कास्टिंग पूर्ण एवं 10.50मी0सिंकिग के सापेक्ष 6.50 मी0 कार्य पूर्ण। • डी.आई पाइप की आपूर्ति एवं 7.80किमी0 सीवर लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण। • आस्था पथ के निकट प्रस्तावित एसपीएस हेतु चयनित भूमि सिटुर्जिया बायो केमिकल्स की होने के कारण नई भूमि के चयन हेतु जल विद्युत निगम की भूमि का संबंधी स्थलीय मापन दिनांक 27.10.24 को तहसील द्वारा किया गया, आख्या अपेक्षित।
पैकेज-6	सीवर नेटवर्क सीवरसंयोजन	59.99 किमी 5907	135.27 करोड			एच0पी0सी0 द्वारा अनुमोदित तथा अनुबंध गठन की कार्यवाही एसएमसीजी स्तर पर गतिमान।
पैकेज-7	सीवर नेटवर्क सीवरसंयोजन	26.85 किमी 2120 नग	187.17 करोड			एच0पी0सी0 द्वारा अनुमोदित तथा अनुबंध गठन की कार्यवाही एसएमसीजी स्तर पर गतिमान।
पैकेज-8	एस0पी0एस0 सीवर नेटवर्क राइजिंग मैन	01 नग 26.85 किमी 300 मी0	132.50 करोड़ अनुमानित			• पुनरीक्षित प्राक्कलन विरचन का कार्य गतिमान। • एस0पी0एस0 निर्माण हेतु चयनित भूमि दिनांक 19.09.24 को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड को आवंटित।
पैकेज-9A	5 MLD STP राइजिंग मैन एस0पी0एस0	01 नग 50 मी0 01 नग				• विरचित प्राक्कलन की समीक्षा गतिमान। • प्रस्तावित 5.0 एमएलडी एसटीपी के निर्माण के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के नाम नामांतरित तथा मुख्य पंपिंग स्टेशन हेतु 600 वर्ग मी0 भूमि आवंटित करते हुए 06.09.24 को भूमि सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण कर दी गई है।

योजना का नाम	प्रस्तावित कार्य	स्वीकृत लागत (रु0 लाख में)	अवमुक्त धनराशि (रु0 लाख में)	अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि (रु0 लाख में)	वित्तीय प्रगति प्रतिशत में	कार्य प्रारम्भ तिथि	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि
ऋषिकेश 50 KLD क्षमता का Septage Co-treatment plant	• 65.58 किमी सीवर लाईन • 5349 नग घरेलू सीवर संयोजन • 02 नग पंपिंग स्टेशन	18309.0	1000.00	700.00	5	01.02.2024	31.01.2026

(कार्यवाही: एस.डी.एम., ऋषिकेश, प. प्रबन्धक, नि0 एवं अनु0 इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश)

NOTARY
Smt. Rukhsana Begum
STATE OF UTTARAKHAND (INDIA)

—(अ) उत्तराखण्ड पेयजल निगम देहरादून शाखा द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन एस0टी0पी0 एस0पी0एस0 एव सीवर लाइन की प्रगति–

योजना का नाम	प्रस्तावित कार्य	स्वीकृत लागत (रु0 लाख मे)	अवमुक्त धनराशि (रु0 लाख में)	प्रगति प्रतिशत में	कार्य प्रारम्भ तिथि	कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि
रिस्पना एव बिंदाल नदी पर इंटरसेप्शन एव डायवर्जन का कार्य	• नालो की टैपिग–200 नग • कैरियर लाइन– 22.34 किमी • एसपीएस निर्माण–01 नग • बिंदाल नदी पर डाइवर्जन सरचना– 01 नग	6739.00	4715 60	100%	05 06 20	नवम्बर 2022
15 एम.एल.डी. एसटीपी एव आई. एण्ड डी. सपेरा बस्ती	• आर.सीसी आईएण्डडी. कार्य–01नग • कैरियर लाइन– 1073 मी0 • सीवर सयोजन लाइन– 2627 मी • 15 एमएलडी एसटीपी–01 नग • सुरक्षा दीवाल एव एप्रोच रोड	7898 74	676 02	30%	15 03 24	मार्च 2026
एस.टी.पी. एव सीवर लाइन कार्य, टपकेश्वर महादेव, गढीकैंट	• आरसीसी एनपी–3 पाइप– 16399.12 मी. • 8 एमएलडी एसटीपी–01 नग	-	-	निविदा प्रकिया पूर्ण LoA जारी किया जा रहा है।		

अधिशासी अभियंता, पेयजल निगम देहरादून शाखा द्वारा अवगत कराया गया की पर्यटन विभाग द्वारा भूमि आवंटन हेतु मौखिक सहमति के पश्चात विभाग द्वारा टपकेश्वर महादेव, गढीकैंट में 8 एमएलडी एस.टी.पी. एवं सीवर लाइन कार्य हेतु निविदा प्रकिया पूर्ण करते हुए Lettr of Acceptance (LoA) जारी किया जा रहा हं। कितु पर्यटन विभाग द्वारा आतिथि तक एन.ओ.सी. जारी नहीं की गई हं जिससे कि परियोजना मे विलम्ब होने की सभावना है। जिसके कम मे अध्यक्ष महोदय द्वारा उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद को एन.ओ.सी. हेतु पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये।

(कार्यवाही: उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून शाखा/जिला गंगा संरक्षण समिति)

कार्यवाही बिंदु 3–गंगा एवं उसकी सहायक नदियों में गिरने वाले नालों को टेप करने के लिए उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा प्रस्तावित सीवरेज योजनाओं की समीक्षा के कम मे उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून शाखा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव– गंगा नदी की सहायक नदियों जैसे बिन्दाल, रिस्पना, सुसवा, सौंग इत्यादि में देहरादून शहर के सीवरेज का प्रवाह प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से हो रहा है, के रोकथाम हेतु जनपद स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा प्रस्तावों को परीक्षित कर अपनी सहमति आख्या प्रस्तुत की गई। जिनका विवरण निम्नवत है–

(अ) ऐसी योजनाएं जिनकी शासन से ई0एफ0सी0 एवं टी0ए0सी0 हो गई है।

क्र0सं0	योजना का नाम	अनुमानित लागत (रू0लाखमे)	विभाग द्वारा प्रस्तुत औचित्य	समिति का पर्यवेक्षण
1	पथरिया पीर, नीलकंठ विहार, इन्दिरा कॉलोनी एवं चक्कुवाला क्षेत्र में सीवर लाईन बिछाने एव तत्सम्बन्धी कार्यो का प्राक्कलन।	1390.00	उक्त योजना बिन्दाल नदी के किनारे (मलिन बस्ती) हेतु तैयार की गयी है।वर्तमान में प्रस्तावित अधिकाश क्षेत्र का सीवर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से बिन्दाल नदी मे पहुँच रहा है।	बिन्दाल नदी मे प्रदूषण कम करनेहेतु योजना का निर्माण किया जाना उचित है।अत योजना के निर्माण पर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई।
2	रविन्द्पुरी, अहीरमण्डी, हाथीबडकला के छूटे हुये क्षेत्रो की जलोत्सारण योजना।	275.9	प्रस्तावित क्षेत्र मे सीवर लाईन न होने के कारण अधिकाश क्षेत्र के सीवर का नाले मे प्रवाह हो रहा है। योजना निर्माण उपरान्त सीवर के सशोधन से वर्तमान मे उत्पन्न प्रदूषण मे कमी आयेगी।	बिन्दाल नदी मे प्रदूषण कम करने हेतु योजना का निर्माण किया जाना उचित है।अत योजना के निर्माण पर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई।

NOTARY Smt. Rakhshna Bajaj Reg. No. Distt. Dehradun STATE OF UTTRAKHAND (INDIA)

3	बैंक कॉलोनी, मोथरोवाला रोड, देहरादून जलोत्सारण योजना।	797.08	प्रस्तावित क्षेत्र मे पूर्व मे सीवर योजना का गठन नही हुआ है। अत प्रस्तावित क्षेत्र मे योजना का निर्माण आवश्यक है।	विभाग द्वारा प्रस्तुत औचित्य के अनुरूप समिति द्वारा योजना के निर्माण हेतु सहमति प्रदान की गई।
4	शक्ति कॉलोनी, कैन्टरोड, हाथीबडकला जलोत्सारण योजना।	305.08	प्रस्तावित क्षेत्र में पूर्व में सीवर योजना का गठन नहीं हुआ है। कुछ क्षेत्र का सीवर सीधे नाले में प्रवाहित होने से बिन्दाल नदी प्रदूषित हो रही है। अतः प्रस्तावित क्षेत्र में योजना का निर्माण आवश्यक है।	बिन्दाल नदी मे प्रदूषण कम करनेहेतु योजना का निर्माण किया जाना उचित है। अत योजना के निर्माण पर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई।
5	रिस्पना ट्रन्क सीवर के सुदृढीकरण कार्य की जलोत्सारण योजना।	292.79	यह प्राक्कलन नाला पानी रोड पर क्षतिग्रस्त सीवर की मरम्मत हेतु गठित है। वर्तमान में क्षतिग्रस्त सीवर लाईन से खुले में सीवर सीधे रिस्पना नदी में जा रहा है। मा0एन.जी.टी. की आपत्तियों के निराकरण हेतु उक्त योजना का गठन अनिवार्य है।	रिस्पना नदी में प्रदूषण कम करने के उददेश्य से योजना का निर्माण किया जाना उचित है। अतः योजना के निर्माण पर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई।
6	वीरचन्द्र सिंह गढवाली मार्ग एवं साकेत कॉलोनी, अजबपुर, देहरादून की पुर्नगठन जलोत्सारण योजना।	603.95	उक्त प्राक्कलन के अन्तर्गत प्रस्तावित क्षेत्र में सीवर लाईन 30–40 वर्ष पूर्व बिछाई गई है। वर्तमान में अधिकांश सीवरलाईन क्षतिग्रस्त होने से खुले में सीवर बह रहा है। अतः योजना का निर्माण आवश्यक है।	योजना का अभिकल्पन कार्य पूर्ण होने एवं योजना के जीर्ण–शीर्ण होने के दृष्टिगत समिति द्वारा योजना के निर्माण पर सहमति प्रदान की गई।
7	रायपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वार्ड संख्या 50, राजीवनगर के देवांचल विहार (मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 362/2023 के अन्तर्गत) जलोत्सारण योजना।	755.19	राजीवनगर के देवांचल विहार तथा नत्थनपुर क्षेत्र के कलिंगा एवं जागृति विहार कॉलोनियों में सीवर लाईन न बिछे होने से इस क्षेत्र के अधिकांश सीवर का प्रवाह बद्रीश कॉलोनी से आने वाले नाले पर खुले में प्रवाहित हो रहा है। उक्त की रोकथाम हेतु योजना का गठन आवश्यक है। समीपवर्ती समस्त क्षेत्रों में जल निगम एव ए0डी0बी0 द्वारा सीवरेज योजना से आच्छादित किया जा चुका है।	योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित छूटे हुये क्षेत्रों में सीवरेज योजना के निर्माण से समीपवर्ती नालों में प्रदूषण के स्तर में कमी आयेगी। अतः योजना के निर्माण पर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई।
8	बहुगुणा कॉलोनी एवं शक्ति विहार कॉलोनी निकट कारगी चौक जलोत्सारण योजना।	275.54	प्रस्तावित क्षेत्र में पूर्व में सीवर योजना का गठन नहीं हुआ है। अतः प्रस्तावित क्षेत्र में योजना का निर्माण आवश्यक है।	विभाग द्वारा प्रस्तुत औचित्य के अनुरूप समिति द्वारा योजना के निर्माण हेतु सहमति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या 1से 8 की योजनाएं जिनकी शासन से ई0एफ0सी0 एवं टी0ए0सी0 हो गई है, का तकनीकी समिति द्वारा तकनीकी अप्रैजल करते हुये संस्तुति प्रदान की गई है। जिसके कम में अध्यक्ष महोदय द्वारा संबधित प्रस्तावों को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने के निर्देश दिये।

NOTARY
Smt. Ruksana Ban[illegible]
Reg. No. [illegible]
Distt. Dehradun
UTTRAKHAND (INDIA)

(ब) ऐसी योजनाएं जिनको विभागीय अप्रैजल एवं टी०ए०सी० के उपरान्त शासन/भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

क्र०सं०	योजना का नाम	अनुमानित लागत (रू०लाख में)	विभाग द्वारा प्रस्तुत औचित्य	समिति का पर्यवेक्षण
1	आई०एस०बी०टी०, हरिद्वार बाईपास ट्रंक सीवर पुनेगठन योजना।	1473.84	ए०डी०बी० द्वारा आई.एस.बी.टी. क्षेत्र में बिछाई गई ट्रंक सीवर लाईन में विगत कई वर्षो से लगभग 10 एम०एल०डी. सीवर ओवरफ्लो होकर समीपवर्ती नालो के माध्यम से नदियों में पहुँच रहा है। यद्यपि इस सीवर को संशोधन हेतु 68 एम.एल.डी. एस०टी०पी० में जाना था। उक्त सीवर को सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट तक पहुँचाने हेतु योजना का गठन आवश्यक है।	सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट निर्माण होने के उपरांत भी खुले में सीवर बहने के कारण आई.एस.बी.टी. एवं समीपवर्ती क्षेत्रों में अनावश्यक रूपसे प्रदूषण फैल रहा है। अतः योजना का निर्माण नितान्त आवश्यक है। समिति द्वारा योजना के निर्माण हेतु सहमति प्रदान की गई।
2	शान्ति विहार, कौलागढ के अवशेष नये क्षेत्रों की जलोत्सारण योजना।	99.55	कौलागढ क्षेत्र के अधिकांश क्षेत्र को सीवरेज योजना से पूर्व में आच्छादित किया जा चुका है। मात्र शान्ति विहार एवं कुछ छूटे हुये क्षेत्रों हेतु इस योजना का गठन क्षेत्र की जनता की अत्यधिक मांग पर किया जा रहा है।	विभाग द्वारा प्रस्तुत औचित्य के अनुरूप समिति द्वारा योजना के निर्माण हेतु सहमति प्रदान की गई।
3	साकेत कॉलोनी, आर्यनगर एवं कैनाल रोड (जोन–सी के छूटे हुये क्षेत्र) की जलोत्सारण योजना।	962.45	प्रस्तावित क्षेत्र में सीवर लाईन नहीं बिछाई गई है, कुछ क्षेत्र का सीवर नालो के माध्यम से सीधे रिस्पना नदी में पहुँचता है, जबकि रिस्पना नदी एवं नदी के किनारे स्थित कॉलोनियों में सीवर लाईन बिछाई गई है। इस क्षेत्र की जनता को सीवर से लाभान्वित किये जाने हेतु योजना का निर्माण आवश्यक है।	रिस्पना नदी में प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से योजना का निर्माण किया जाना उचित है। अतः योजना के निर्माण हेतु सहमति प्रदान की गई।
4	केवल विहार सहस्त्रधारा रोड की जलोत्सारण योजना।	468.22	उक्त क्षेत्र में सीवर लाईन नहीं बिछाई गई है। क्षेत्र के निचले भाग में स्थित नाले में समीपवर्ती क्षेत्र की सीवर का प्रवाह हो रहा है। उक्त की रोकथाम हेतु योजना का निर्माण आवश्यक है।	उपरोक्तानुसार ही बिन्दु संख्या 03 के अनुरूप समिति द्वारा योजना के निर्माण हेतु सहमति प्रदान की गई।
5	हरिद्वार बाईपास एवं अंजली विहार की जलोत्सारण योजना।	77.79	प्रस्तावित क्षेत्र में पूर्व में सीवर योजना का गठन नहीं हुआ है। अतः प्रस्तावित क्षेत्र में योजना का निर्माण आवश्यक है।	विभाग द्वारा प्रस्तुत औचित्य के अनुरूप समिति द्वारा योजना के निर्माण हेतु सहमति प्रदान की गई।

NOTARY * Smt. Rukhsana Begum Advocate Reg. No. 20/2011/2002 Distt. Dehradun STATE OF UTTRAKHAND (INDIA)

6	जोन जी 2 देहरादून जलोत्सारण योजना।	9842.39	उक्त प्राक्कलन के अन्तर्गत राजपुर, जाखन, धोरण इत्यादि क्षेत्रो को सम्मिलित किया गया है। इन क्षेत्रों में पूर्व में सीवर लाईन बिछाने का कार्य नहीं हुआ है। उक्त सीवरेज योजना हेतु गंगोत्री विहार पुल के समीप एस.टी.पी. का निर्माण प्रस्तावित है। योजना के निर्माण से उपरोक्त अतिविशिष्ट क्षेत्रों में सीवरेज योजना से लाभ प्राप्त होगा।	विभाग द्वारा प्रस्तुत औचित्य के अनुरूप समिति द्वारा योजना के निर्माण हेतु सहमति प्रदान की गई।
7	सेलाकुई देहरादून में नालों के आई0 एण्ड डी0 कार्यो एवं 9.00 एम0एल0डी0 क्षमता के सी0ई0टी0पी0 योजना।	13202.95	सेलाकुई क्षेत्र मे पूर्व में कोई सीवरेज योजना का निर्माण नहीं किया गया है। उक्त सीवर का प्रवाह नालो के माध्यम से टौंस नदी में पहुँचने के कारण प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से योजना का निर्माण आवश्यक है।	विभाग द्वारा प्रस्तुत औचित्य के अनुरूप समिति द्वारा योजना के निर्माण हेतु सहमति प्रदान की गई।
8	इन्द्रलोक विहार एवं कैपिटल ग्रीन्ज होम कालोनी निकट हरिद्वार बाइपास रोड, देहरादून की जलोत्सारण योजना।	335	प्रस्तावित क्षेत्र में पूर्व में सीवर योजना का गठन नहीं हुआ है, जबकि समस्त समीपवर्तीक्षेत्रो को सीवरेज योजना से आच्छादित किया जा चुका है। अतःप्रस्तावित क्षेत्र में योजना का निर्माण आवश्यक है।	विभाग द्वारा प्रस्तुत औचित्य के अनुरूप समिति द्वारा योजना के निर्माण हेतु सहमति प्रदान की गई।
9	प्रेमनगर जलोत्सारण योजना।	9473.25	कैन्ट क्षेत्र हेतु सीवेज योजना का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।योजना के निर्माण उपरान्त इस क्षेत्र में प्रदूषण की मात्रा में कमीआयेगी।	विभाग द्वारा प्रस्तुत औचित्य के अनुरूप समिति द्वारा योजना के निर्माण हेतु सहमति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या (ब) में 01से 09 तक की योजनाओं की राज्य स्तर/शासन से टी0ए0सी0 हो गई है। जिसका तकनीकी समिति द्वारा तकनीकी अप्रैजल करते हुये संस्तुति प्रदान की गई है। जिसके कम में अध्यक्ष महोदय द्वारा संबधित प्रस्तावों को स्वीकृति हेतु शासन/भारत सरकार को प्रेषित करने के निर्देश दिये।

(स) ऐसी योजनाएं जिनके प्राक्कलन गठित किये जा रहे है।

क्र0सं0	योजना का नाम	अनुमानित लागत (रू0लाख में)	विभाग द्वारा प्रस्तुत औचित्य	समिति का पर्यवेक्षण
1	टर्नर रोड, सुभाषनगर (पार्ट– I–4) एवं निकटवर्ती क्षेत्रों की जलोत्सारण योजना।	5623	प्राक्कलन विरचन का कार्य प्रगति पर।	योजना के स्वीकृति/ निर्माण से प्रस्तावित योजना के क्षेत्रो में प्रदूषण के स्तर में कमी आयेगी। अतः योजना का गठन उचित है।
2	संस्कृति लोक कॉलोनी (पार्ट– I–4) जलोत्सारण योजना।	1740.55	मुख्य अभियन्ता (ग0ढ0), उ0पे0नि0 पौडी के कायालय पत्रांक 02/कैम्प देहरादून दिनांक 24.12.2024 द्वारा तकनीकी स्वीकृति उपरान्त प्रधान कार्यालय को प्रेषित।	उक्त क्षेत्र में पूर्व में कोई भी सीवेज योजना निर्मित नहीं की गई है। यद्यपि इस क्षेत्र से सटे हुये भाग में देहरादून शहर के सबसे बडे एस0टी0पी0 (68 एम0एल.डी0) का निर्माण किया गया है। योजना के स्वीकृति/निर्माण से प्रस्तावित योजना के क्षेत्रो में प्रदूषण की मात्रा में कमी आयेगी। अतः

NOTARY
Smt. Rukhsana
Reg. No.
STATE OF UTTRAHAND (INDIA)

				योजना का निर्माण उचित है।
3	देहरादून शहर के छूटे हुये क्षेत्रों हेतु सीवरेज योजनाओं के प्रस्ताव का आरम्भिक आंगणन (पी–1)। उक्त योजनाओं की अनुमानित लागत रू0 2357.39 करोड़।	1000	सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता, उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिये गयेनिर्देशों के अनुक्रम में देहरादून शहर के अवशेष क्षेत्रों हेतु सीवरेज योजनाओं के प्रस्ताव उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा तैयार किये जाने है।	देहरादून शहर के छूटे हुये क्षेत्रों में सीवरेज योजनाओं के निर्माण हेतु प्राक्कलन गठन का दायित्व उत्तराखण्ड पेयजल निगम को प्रदान किया गया है। शहर के समस्त क्षेत्रों में सीवरेज योजनाओ के निर्माण से प्रदूषण में कमी आयेगी। अतः छूटे हुये क्षेत्रों में सीवरेज योजनाओं के प्राक्कलन गठन/स्वीकृति प्राप्त किया जाना उचित है।
4	सहस्त्रधारा रोड जलोत्सारण योजना	28800.00	प्राक्कलन विचरन का कार्य प्रगति पर।	सहस्त्रधारा सडक एवं समीपवर्ती क्षेत्रों में सीवरेज योजना का गठन न होने से उक्त क्षेत्र में प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से सीवेज योजना का प्राक्कलन गठन/स्वीकृति प्राप्त किया जाना उचित है।
5	क्लेमेन्ट टाउन सीवरेज योजना।	9525.41	कैन्ट क्षेत्र हेतु सीवरेज योजना का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। योजना के निर्माण उपरान्त इस क्षेत्र में प्रदूषण की मात्रा में कमी आयेगी।	विभाग द्वारा प्रस्तुत औचित्य के अनुरूप समिति द्वारा योजना के निर्माण हेतु सहमति प्रदान की गई।

क्रम संख्या (स) में प्रस्ताव संख्या 01से05 तक की योजनाओं के प्राक्कलन गठन की तकनीकी पहलुओं पर विचार करते हुये तकनीकी परीक्षण समिति द्वारा योजनाओं के गठन हेतु सहमति प्रदान की गयी। जिसके कम में अध्यक्ष महोदय द्वारा योजनाओं के निर्माण से गंगा एवं उसकी सहायक नदियों में प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से प्रवाहित होने वाले सीवेज से उत्पन्न प्रदूषण में अपेक्षित सुधार हेतु उपरोक्त योजनाओं को संज्ञान में लेते हुए प्राक्कलन विरचन कार्य हेतु निर्देश देने के साथ ही अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड पेयजल निगम के द्वारा अवगत कराया कि देहरादून शहर के अवशेष क्षेत्रों हेतु सीवरेज योजनाओं के प्रस्ताव प्राक्कलन गठन का दायित्व उत्तराखण्ड पेयजल निगम को प्रदान किया गया है। जिससे शहर के समस्त क्षेत्रों में सीवरेज योजनाओ के निर्माण से नदी प्रदूषण में कमी आयेगी। अतः छूटे हुये क्षेत्रों में सीवरेज योजनाओं के प्राक्कलन गठन/कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये गये।

(कार्यवाही–उत्तराखण्ड पेयजल निगम, दून शाखा, देहरादून।)

कार्यवाही बिंदु 4–जनपद देहरादून में स्थापित सैप्टेज/एस.टी.पी. के कार्य–प्रदर्शन एव रख–रखाव की समीक्षा के लिए निगरानी समिति द्वारा एसटीपी की निरीक्षण आख्या प्रस्तुत न होने के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई और प्रत्येक माह गंभीरतापूर्वक आख्या प्रेषित करने के निर्देश के साथ–साथ पूर्व में गठित समिति में राज्य स्तर से प्रतिनिधि के तौर पर निगरानी एवं अनुश्रवण विशेषज्ञ एसएमसीजी को भी सदस्य के रुप में रखने के निर्देश दिये गय

(कार्यवाही–एसएमसीजी/ उत्तराखण्ड जल संस्थान/पेयजल निगम, देहरादून)

कार्यवाही बिंदु 5:–घरेलू एवं अघरेलू सीवर संयोजन, नाला टेपिंग एवं सफाई–
उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश द्वारा अवगत कराया गया कि पिछली बैठक के उपरान्त 05 घरेलू भवनों 04 अघरेलू भवनों को सीवर से संयोजित किया गया है। वर्तमान तक 10101 भवनों में सीवर लाईन से सयोजित करने हेतु के0एफ0डब्लू0 पोषित योजना से सीवर लाईन बिछायी जा रही है। उक्त सभी भवनों के अपने सेप्टिक/सोकपिट निर्मित हैं।

(कार्यवाही– उत्तराखण्ड जल संस्थान/पेयजल निगम, ऋषिकेश)

NOTARY STATE OF UTTARAKHAND (INDIA) Smt. Rukhsana Begum Advocate Reg. No. Distt. Dehradun

8

कार्यवाही बिंदु 6:– गंगा एवं उसकी सहायक नदियो में गिरने वाले नालों के सर्वेक्षण की समीक्षा के क्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि आगामी बैठक से पूर्व समस्त जनपद क्षेत्र के टेप नालों एवं टेप करने योग्य नालों का ड्रोण सर्वेक्षण के द्वारा सूची एवं डीपीआर आगामी बैठक से पूर्व प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

(कार्यवाही– समस्त जोन उत्तराखण्ड जल संस्थान/उत्तराखण्ड पेयजल निगम/ देहरादून)

कार्यवाही बिंदु 7–गंगा एवं उसकी सहायक नदी परिक्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण कार्य की समीक्षा के संबंध में निर्देश दिए गए कि जनपद में संचालित समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठानों यथा हांटल, आश्रम, मॉल, चिकित्सालय इत्यादि को दिए गए सहमति प्राधिकार नियमानुसार दिये जायें। साथ ही जनपद के औद्योगिक क्षेत्र में निर्मित/निर्माणाधीन/प्रस्तावित ट्रीटमेंट प्लांट, आवासीय कालोनी में निर्मित एस0टी0पी0 का पूर्ण विवरण क्षमता के साथ समिति को उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही–उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड. देहरादून)

कार्यवाही बिंदु 8–गंगा एवं उसकी सहायक नदियों में बाढ़ नियंत्रण की समीक्षा। सुसवा एवं सोंग नदी बाढ़ परिक्षेत्र का 25 से 100 वर्ष की बाढ़ आवृति का चिन्हांकन करते हुए सर्वेक्षण कार्य पूर्ण तथा सजरा शीट से परिसंपत्ति रजिस्टरों को बनाने की प्रकिया राजस्व विभाग द्वारा की जा रही है। जिसके कम में अध्यक्ष महोदय द्वारा सजरा शीट से परिसंपत्ति रजिस्टर बनाने का कार्य अतिशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये।

(कार्यवाही–सिंचाई विभाग एवं राजस्व विभाग, देहरादून)

कार्यवाही बिंदु 9–खदरी खड़कमाफ़ में पूजाघाट एवं शवदाह गृह बनाने की प्रस्तुत कार्ययोजना के संबंध में सिंचाई विभाग, ऋषिकेश द्वारा गंगा ग्राम खदरी खड़कमाफ में पूजा घाट एवं शवदाह गृह की डीपीआर रु0305.64 लाख की प्रस्तुत कार्ययोजना को जनपद स्तरीय तकनीकी परीक्षण समिति से परीक्षण कराकर प्रेषित करने के निर्देश के कम में तकनीकी परीक्षण समिति (T.A.C.) द्वारा परीक्षण कर स्वीकृति करते हुए आख्या समिति को प्रस्तुत की गई। जिसके कम में अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव संज्ञान में लेते हुए प्रस्ताव को विभागीय टी0ए0सी0 के उपरान्त एस.एम.सी.जी., नमामि गंगे, उत्तराखंड को प्रेषित करने के निर्देश दिये।

(कार्यवाही–जिला गंगा संरक्षण समिति/सिंचाई विभाग, देहरादून)

कार्यवाही बिंदु 10–नगर निकायों में साफ–सफाई एवं सैप्टेज प्रबंधन की समीक्षा की गई जिसमें अध्यक्ष महोदय ने समस्त नगर निकायों को निर्देश दिया कि–

1. गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के किनारें पर कूड़ा–करकट, गंदगी एकत्रित न हो, इस हेतु समय–समय पर विभाग द्वारा प्रत्येक माह निरीक्षण करें।
2. समस्त नगर निकाय सैप्टेज प्रोटोकाल–2018 के अनुसार स्लज वाहनों का शत–प्रतिशत पंजीकरण करते हुए स्लज वाहनों पर जीपीएस ट्रैकिंग यंत्र अनिवार्य रुप से स्थापित करें तथा पंजीकरण कराने के लिये प्रचार–प्रसार हेतु नगर निकाय क्षेत्र में बड़े होर्डिंग भी लगाये।
3. नगर निकायों में सेप्टेज प्रोटोकॉल के अनुसार हाउसहोल्ड सर्वे का कार्य शुरु नहीं हुआ है वहां तत्काल सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ करें।

(कार्यवाही–समस्त नगर निगम/नगरपालिका/नगर पंचायत, देहरादून)

कार्यवाही बिंदु 11– अर्थ गंगा के अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव– प्रस्ताव संख्या 1.Promotion of "Natural/Organic Farming under National Mission for Cean Gangaa's programme" in Doiwala Block (Suswa Catchment) of Dehradun District. एवं प्रस्ताव संख्या 2 "Cleaning Holy River The Ganges: through Zero Budgt, Natural Farming alongside Ganges and its Tributary River in Dehradun District's एस.जी.सी. के निर्देशानुसार कृषि विभाग से Vet करा लिया गया है। जिसके कम में अध्यक्ष महोदय के द्वारा प्रस्तावों को राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तराखण्ड को प्रेषित करने के निर्देश दिये।

कार्यवाही बिंदु 12–जिला गंगा योजना(डी.जी.पी.) प्रगति की समीक्षा की गई जिसके कम में अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त विभागों को प्रेषित प्रारुप पर दिनांक 03 अप्रैल 2025 तक गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के संबधित सूचना/कार्ययोजना प्रेषित करें।

(कार्यवाही– समस्त विभाग)

NOTARY Smt. Rukhsana Begum Advocate Distt. Dehradun STATE OF UTTRAKHAND (INDIA)

कार्यवाही अन्य बिंदु–

- श्री रोहित ज्यारा, मॉनीटरिंग विशेषज्ञ, एस.एम.सी.जी., नमामि गंगे के द्वारा जनपद देरादून में 03 एसटीपी मसूरी डिवीजन एवं 5 एसटीपी देहरादून शाखा कुल 08 एस.टी.पी. आनलाइन निगरानी तंत्र से जोडने के लिये नमामि गंगे, भारत सरकार द्वारा चयनित संस्था द्वारा इंस्टालेशन का कार्य किया जा रहा है। उक्त के कम में अध्यक्ष महोदय के द्वारा कार्यदायी संस्था से समन्वय स्थापित कर अतिशीघ्र कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये।

  (कार्यवाही–पेयजल निगम/उत्तराखण्ड जल संस्थान/जिला गंगा संरक्षण समिति, देहरादून)

- डॉ0 विनोद जुगलान, पर्यावरणविद एवं समिति सदस्य द्वारा गंगा ग्राम में भूमाफियाओं द्वारा अतिकमण एवं मा.एन.जी.टी. के नियमों का उल्लघंन करने का मुद्दा उठाया गया तथा समिति को अवगत कराया गया कि खदरी खड़कमाफ में सरकारी जमीनों को भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर विकय करने तथा उनके द्वारा अन्य गतिविधियों में प्रयुक्त किया जा रहा है। जबकि इन जमीनों का पूर्व में सिंचाई विभाग द्वारा सीमांकन किया गया है। विभाग द्वारा अतिकमणकारियों को चेतावनी देने के बाद भी सीमांकित भूमि से सीमाकन चिन्हो को हटाकर पचायत की भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। जिसके कम में अध्यक्ष महोदय द्वारा एस.डी.एम ऋषिकेश एवं अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग द्वारा संयुक्त जांच करके जांच आख्या समिति को प्रस्तुत करने एवं सरकारी भूमि पर अतिकमण की स्थित में नियमानुसार कारवाई करने के निर्देश दिये।

  (कार्यवाही–एस.डी.एम., ऋषिकेश/अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, देहरादून)

अतः अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गयी।

//ह0//
(सविन बंसल)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला गंगा संरक्षण समिति
देहरादून।

पत्रांक : 92/**जि0गं0सु0स0/2024–25** **दिनांक:** ~~मार्च~~, 2025 02 अप्रैल

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. कार्यक्रम निदेशक, राज्य गंगा स्वच्छ मिशन, नमामि गंगे, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला गंगा संरक्षण समिति, देहरादून।
3. उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्रधिकारण, देहरादून।
4. प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव, जिला गंगा सुरक्षा समिति, देहरादून।
5. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।
6. अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व, देहरादून।
7. नगर आयुक्त, नगर निगम, ऋषिकेश।
8. समस्त उप जिलाधिकारी, देहरादून।
9. अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान एवं पेयजल निगम, देहरादून।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान एवं पेयजल निगम, देहरादून।
11. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नेहरू कॉलोनी, देहरादून।
12. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत, देहरादून।
13. समस्त सदस्य, जिला गंगा संरक्षण समिति, देहरादून।

(अभिनव शाह)
मुख्य विकास अधिकारी
देहरादून।
1/4/24

NOTARY
Smt. Rukhsana Baquin
Advocate
Reg. No. 20 (01)/2002
Distt. Dehradun
STATE OF UTTRAKHAND (INDIA)

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून।

दिंनाकः-12मार्च,2025

संख्याः–२११ /एल0बी0सी0–2025

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित मूल आवेदन संख्या– 417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य मे पारित आदेश दिनांक 16.12.2024 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य मे पारित आदेश दिनांक 16.12.2024 के कम मे जिला गंगा सुरक्षा समिति की मासिक बैठक दिनांक 22.02.2025 को सम्पादित की गई थी जिसमें उक्त प्रकरण के संबंध में बैठक की कार्यवाही में यह निर्णय लिया गया था कि मा० राष्ट्रीय हरित अ[illegible]ण में योजित मूल आवेदन संख्या 417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के संबंध में अनुपालन जिसमें मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा Civil Appeal No- 1440 of 2025, उत्तराखण्ड राज्य व अन्य बनाम निरंजन बागछी में पारित आदेश दिनांक 10 फरवरी 2025 के कम में नगर निगम देहरादून, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, मसूरी नगर पालिक, पेयजल निगम, सिचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग व अन्य सभी सम्बन्धित विभाग जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार दिनांक 07.10.2016 की धारा 6 की उप धारा 3 के प्रावधान का सख्ती से अनुपालन करने तथा इस आदेश/अधिसूचना के लागू होने से पहले रिस्पना नदी के अधिसूचित बाढ परिक्षेत्र में यदि कोई नियम विरुद्ध संरचना बनाई गयी है, जो रिस्पना नदी में सतत जल प्रवाह को प्रदूषित करने के साथ–साथ बाधित कर रही है, को संबधित विभाग उक्त अधिसूचना की धारा 6 की उपधारा 3 के द्वितीय परन्तुक के अनुक्रम में ऐसी समस्त संरचनाओं को 28.02.2025 तक चिन्हित करते हुए [illegible]ल हटाये, उक्त के कम में सम्बन्धित विभागों द्वारा ऐसी समस्त संरचनाओं को चिन्हित करने एवं कितनी संरचनाओं को हटाया गया है, के सम्बन्ध में विभाग विस्तृत व सुस्पष्ट अनुपालन आख्या जिला मजिस्ट्रेट देहरादून के कार्यालय में दिनाक 07 मार्च 2025 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। उक्त बैठक में आपके प्रतिनिधि उपस्थित थे, उक्त कार्यवाही के कम में आज दिनांक तक आपके द्वारा **अनुपालन आख्या इस कार्यालय में अप्राप्त है।**

अतः जिला गंगा सुरक्षा समिति की मासिक बैठक दिनांक 22.02.2025 के कार्यवृत्त की छायाप्रति पुनः संलग्नकर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार अपनी अनुपालन आख्या दिनांक 17.03.2025 तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे। चूकिं प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण का होने के कारण आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(कृष्ण कुमार मिश्रा)
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
देहरादून।

NOTARY
Smt. Rukh[illegible]
Adv.
Reg. No. [illegible]
Distt. Dehradun
STATE OF UTTRAKHAND (INDIA)

महत्वपूर्ण / मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण

।। कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।।

संख्या 304 /एल0बी0सी0–2024 दिनांक 17 मार्च 2025

सेवा में,

1:– उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

2:– नगर आयुक्त,
नगर निगम देहरादून।

3:– मुख्य अभियन्ता (EIC),
सिचांई खण्ड देहरादून।

4:– मुख्य अभियन्ता (EIC),
लोक निर्माण विभाग देहरादून।

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध मे।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 13.02.2025 के सम्बन्ध मे दिनांक 22.02.2025 को जिला गंगा सुरक्षा समिति देहरादून की मासिक बैठक आहूत की गयी थी उक्त बैठक के बिन्दु संख्या–01 मे दिये गये थे, कि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा Civil Appeal No- 1440 of 2025 उत्तराखण्ड राज्य व अन्य बनाम निरंजन बागची में पारित आदेश दिनांक 10 फरवरी 2025 के कम में नगर निगम देहरादून, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, मसूरी नगर पालिक, पेयजल निगम, सिचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग व अन्य सभी सम्बन्धित विभाग जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार दिनांक 07.10.2016 की धारा 6 की उप धारा 3 के प्रावधान का सख्ती से अनुपालन करने तथा इस आदेश/अधिसूचना के लागू होने से पहले रिस्पना नदी के अधिसूचित बाढ़ परिक्षेत्र में यदि कोई नियम विरुद्ध संरचना बनाई गयी है, जो रिस्पना नदी में सतत जल प्रवाह को प्रदूषित करने के साथ–साथ बाधित कर रही है, को संबधित विभाग उक्त अधिसूचना की धारा 6 की उपधारा 3 के द्वितीय परन्तुक के अनुक्रम में ऐसी समस्त संरचनाओं को 28.02.2025 तक चिन्हित करते हुए तत्काल हटाये।

उक्त के क्रम में सम्बन्धित विभागों द्वारा ऐसी समस्त संरचनाओं को चिन्हित करने एवं कितनी संरचनाओं को हटाया गया है, के सम्बन्ध में विस्तृत व सुस्पष्ट अनुपालन आख्या जिला मजिस्ट्रेट देहरादून के कार्यालय में दिंनाक 07 मार्च 2025 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना था। किन्तु सम्बन्धित विभागों द्वारा दिनांक 12.03.2025 तक अनुपालन आख्या इस कार्यालय मे उपलब्ध न कराये जाने के कारण पत्र संख्या–300/एल0बी0सी0–2025 दिनांक 12.03.2025 जारी किया गया। जिसमे दिनांक 15.03.2025 को समय 11:00 बजें पुनः समीक्षा बैठक आहूत की गयी।

प्रश्नगत प्रकरण मे दिनांक 15.03.2025 को जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के कम मे अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता मे बैठक आहूत हुई जिसमे सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने हेतु समन्वय टीम गठित कर दिनांक 17.03.2025 से चिन्हीकरण और हटाये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

सम्बन्धित अधिकारियों को बार–बार निर्देश दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा अनुपालनात्मक आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध न कराये जाने के कारण दिनांक 17.03.2025 को प्रकरण की सुनवाई के दौरान मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा कड़ा रोष प्रकट करते हुये सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्व अभियोजन की कार्यवाही किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है एवं सम्बन्धित विभागों के सचिवों की भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया है।

क्रमांशः–02

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश व दिनांक 22.02.2025 को आहूत बैठक के बिन्दु संख्या 01 मे दिये निर्देशो के अनुपालन मे कार्यवाही करते हुये अनिवार्य रूप से दिनांक 24.03.2025 तक आख्या/रिपोर्ट इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। विलम्ब होने अथवा कार्य मे शिथिलता बरतने की दशा मे सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्व कार्यवाही की संस्तुति हेतु विवश होना पड़ेगा। जिसके जिम्मेदार वह स्वयं होगे। यह उल्लेखनीय है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे अग्रिम नियत तिथि पर सम्बन्धित विभाग द्वारा दाखिल Status Report /Response को उसी दशा मे जिलाधिकारी महोदय द्वारा दाखिल किया जायेगा।

संलग्न–यथोपरि।

(कृष्ण कुमार मिश्रा)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
देहरादून।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01:– सचिव, आवास उत्तराखण्ड शासन।
02:– सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
03:– सचिव, सिचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
04:– सचिव, पेयजल निगम, उत्तराखण्ड शासन।
05:– सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
06:– स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
देहरादून।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी महोदय देहरादून को निर्गत निर्देशों के कम मे सादर सूचनार्थ प्रेषित।

17/03/25
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
देहरादून।

NOTARY ★ STATE OF UTTRAKHAND ★ Smt. Rukhsana Begum Reg. No. Dist. Dehradun

(रजिस्टर्ड)

mail –
अनुस्मारक– 1

महत्वपूर्ण/मा0एन0जी0टी0 प्रकरण

|| कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून ||

संख्या 315 /एल0बी0सी0–2024 दिनांक 22 मार्च 2025

सेवा में,

1:– उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

2:– नगर आयुक्त,
नगर निगम देहरादून।

3:– मुख्य अभियन्ता,
सिचाई खण्ड देहरादून।

4:– मुख्य अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग देहरादून।

विषय:– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सख्या 304 एल0 बी0 सी0–2024 दिनांक 17.03.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसमे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 13.02.2025 के सम्बन्ध मे दिनांक 22.02.2025 को जिला गंगा सुरक्षा समिति देहरादून की मासिक बैठक आहूत की गयी थी उक्त बैठक के बिन्दु संख्या–01 मे दिये गये थे, कि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा **Civil Appeal No- 1440 of 2025** उत्तराखण्ड राज्य व अन्य बनाम निरंजन बागछी में पारित आदेश दिनांक 10 फरवरी 2025 के कम में नगर निगम देहरादून, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, मसूरी नगर पालिक, पेयजल निगम, सिचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग व अन्य सभी सम्बन्धित विभाग जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार दिनांक 07.10.2016 की धारा 6 की उप धारा 3 के प्रावधान का सख्ती से अनुपालन करने तथा इस आदेश/अधिसूचना के लागू होने से पहले रिस्पना नदी के अधिसूचित बाढ़ परिक्षेत्र में यदि कोई नियम विरुद्ध संरचना बनाई गयी है, जो रिस्पना नदी में सतत जल प्रवाह को प्रदूषित करने के साथ–साथ बाधित कर रही है, को संबधित विभाग उक्त अधिसूचना की धारा 6 की उपधारा 3 के द्वितीय परन्तुक के अनुक्रम में ऐसी समस्त संरचनाओं को 28.02.2025 तक चिन्हित करते हुए तत्काल हटाये। उक्त के क्रम में सम्बन्धित विभागों द्वारा ऐसी समस्त संरचनाओं को चिन्हित करने एवं कितनी संरचनाओं को हटाया गया है, के सम्बन्ध में विभाग विस्तृत व सुस्पष्ट अनुपालन आख्या जिला मजिस्ट्रेट देहरादून के कार्यालय में दिनांक 07 मार्च 2025 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। किन्तु सम्बन्धित विभागों द्वारा दिनांक 12.03.2025 तक अनुपालन आख्या इस कार्यालय मे उपलब्ध न कराये जाने के कारण पत्र संख्या–300/एल0बी0सी0–2025 दिनांक 12.03.2025 जारी किया गया। जिसमे दिनांक 15.03.2025 को समय 11:00 बजें पुनः समीक्षा बैठक आहूत की गयी।

प्रश्नगत प्रकरण मे दिनांक 15.03.2025 को जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता मे बैठक आहूत हुई जिसमे सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने हेतु समन्वय टीम गठित कर दिनांक 17.03.2025 से चिन्हीकरण और हटाये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

सम्बन्धित अधिकारियों को बार–बार निर्देश दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा अनुपालनात्मक आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध न कराये जाने के कारण दिनांक 17.03.2025 को प्रकरण की सुनवाई के दौरान मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा कड़ा रोष प्रकट करते हुये सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्व अभियोजन की कार्यवाही किये जाने के भी निर्देश दिये गये है। एवं सम्बधित विभागों के सचिवों को भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति होने हेतु आदेशित किया गया है

NOTARY STATE OF UTTARAKHAND

क्रमांशः–02

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश व दिनांक 22.02.2025 को आहूत बैठक के बिन्दु संख्या 01 मे दिये निर्देशो के अनुपालन मे कार्यवाही करते हुये अनिवार्य रूप से दिनांक 24.03.2025 तक आख्या/रिपोर्ट इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे विलम्ब होने अथवा कार्य मे शिथिलता बरतने की दशा मे सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्व कार्यवाही की संस्तुति हेतु विवश होना पड़ेगा। जिसके जिम्मेदार वह स्वयं होगे। यह उल्लेखनिय है कि मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे अग्रिम नियत तिथि पर सम्बन्धित विभाग द्वारा दाखिल Status Report/Response को उसी दशा में जिलाधिकारी महोदय द्वारा दाखिल किया जायेगा।

संलग्न–यथोपरि।

22.3.25

(कृष्ण कुमार मिश्रा)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
देहरादून।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01:– सचिव, आवास उत्तराखण्ड शासन।
02:– सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
03:– सचिव, सिचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
04:– सचिव, पेयजल निगम, उत्तराखण्ड शासन।
05:- सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
06:– स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

22.3.25

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
देहरादून।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी महोदय देहरादून को निर्गत निर्देशों के कम मे सादर सूचनार्थ प्रेषित।

22.03.25

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
देहरादून।

10 22/03/25 Time 4 P.M

NOTARY ★ Smt. Rukhsana Bagum Advocate Reg. No. 2016/11/2002 Distt. Dehradun STATE OF UTTRAKHAND (INDIA)

अनुस्मारक–

महत्वपूर्ण/मा0एन0जी0टी0 प्रकरण

|| कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून ||

संख्या 420 /एल0बी0सी0–2024 दिनांक 5 अप्रैल, 2025

सेवा में,

1:– उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

2:– नगर आयुक्त,
नगर निगम देहरादून।

3:– मुख्य अभियन्ता,
सिचाई खण्ड देहरादून।

4:– मुख्य अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग देहरादून।

विषय:– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सख्या 304 एल0 बी0 सी0–2024 दिनांक 17.03.2025 एवं पत्र संख्या–315/एल0बी0सी0–2024 दिनांक 22 मार्च, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसगे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 13.02.2025 के सम्बन्ध मे दिनांक 22.02.2025 को जिला गंगा सुरक्षा समिति देहरादून की मासिक बैठक आहूत की गयी थी उक्त बैठक के बिन्दु संख्या–01 मे दिये गये थे, कि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा **Civil Appeal No- 1440 of 2025** उत्तराखण्ड राज्य व अन्य बनाम निरंजन बागछी में पारित आदेश दिनांक 10 फरवरी 2025 के कम में नगर निगम देहरादून, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, मसूरी नगर पालिक, पेयजल निगम, सिचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग व अन्य सभी सम्बन्धित विभाग जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार दिनांक 07.10.2016 की धारा 6 की उप धारा 3 के प्रावधान का सख्ती से अनुपालन करने तथा इस आदेश/अधिसूचना के लागू होने से पहले रिस्पना नदी के अधिसूचित बाढ़ परिक्षेत्र में यदि कोई नियम विरुद्ध संरचना बनाई गयी है, जो रिस्पना नदी में सतत जल प्रवाह को प्रदूषित करने के साथ--साथ बाधित कर रही है, को संबन्धित विभाग उक्त अधिसूचना की धारा 6 की उपधारा 3 के द्वितीय परन्तुक के अनुक्रम में ऐसी समस्त संरचनाओं को 28.02.2025 तक चिन्हित करते हुए तत्काल हटाये। उक्त के क्रम में सम्बन्धित विभागों द्वारा ऐसी समस्त संरचनाओं को चिन्हित करने एवं कितनी संरचनाओं को हटाया गया है, के सम्बन्ध में विभाग विस्तृत व सुस्पष्ट अनुपालन आख्या जिला मजिस्ट्रेट देहरादून के कार्यालय में दिंनाक 07 मार्च 2025 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। किन्तु सम्बन्धित विभागों द्वारा दिनांक 12.03.2025 तक अनुपालन आख्या इस कार्यालय मे उपलब्ध न कराये जाने के कारण पत्र संख्या–300/एल0बी0सी0–2025 दिनांक 12.03.2025 जारी किया गया। जिसमे दिनांक 15.03.2025 को समय 11:00 बजें पुनः समीक्षा बैठक आहूत की गयी।

प्रश्नगत प्रकरण मे दिनांक 15.03.2025 को जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के कम मे अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता मे बैठक आहूत हुई जिसमे सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने हेतु समन्वय टीम गठित कर दिनांक 17.03.2025 से चिन्हीकरण और हटाये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

सम्बन्धित अधिकारियों को बार–बार निर्देश दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा अनुपालनात्मक आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध न कराये जाने के कारण दिनांक 17.03.2025 को प्रकरण की सुनवाई के दौरान मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा कड़ा रोष प्रकट करते हुये सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही किये जाने

के भी निर्देश दिये गये है। एवं सम्बधित विभागों के सचिवों को भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति होने हेतु आदेशित किया गया है

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश व दिनांक 22.02.2025 को आहूत बैठक के बिन्दु संख्या 01 मे दिये निर्देशो के अनुपालन मे कार्यवाही करते हुये अनिवार्य रूप से दिनांक 15.04.2025 तक आख्या/रिपोर्ट इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे विलम्ब होने अथवा कार्य मे शिथिलता बरतने की दशा मे सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्व कार्यवाही की संस्तुति हेतु विवश होना पड़ेगा। जिसके जिम्मेदार वह स्वयं होगे। यह उल्लेखनिय है कि मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे अग्रिम नियत तिथि पर सम्बन्धित विभाग द्वारा दाखिल Status Report/Response को उसी दशा में जिलाधिकारी महोदय द्वारा दाखिल किया जायेगा।
संलग्न–यथोपरि।

05.04.25
(कृष्ण कुमार मिश्रा)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
देहरादून।

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01:– सचिव, आवास उत्तराखण्ड शासन।
02:– सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
03:– सचिव, सिचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
04:– सचिव, पेयजल निगम, उत्तराखण्ड शासन।
05:– सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
06:– स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

05.04.25
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
देहरादून।

प्रतिलिपि:– जिलाधिकारी महोदय देहरादून को निर्गत निर्देशों के कम मे सादर सूचनार्थ प्रेषित।

05.04.25
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
देहरादून।

10
05/04/25

NOTARY
Smt. Rukhsana Begum
Advocate
Reg. No.
Distt. Dehradun
STATE OF UTTARAKHAND

नमामि गंगे

जिला गंगा सुरक्षा समिति, देहरादून की मासिक बैठक

दिनांक 11 अप्रैल, 2025 का कार्यवृत।

जिला गंगा सुरक्षा समिति देहरादून की बैठक जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 11.04.2025 को विकास भवन सभागार में संपादित की गई।

बैठक की उपस्थिति– सूची संलग्न

पूर्व की बैठक में दिये गये निर्देशो के क्रम में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत अनुपालन आख्या तथा कार्यो की अद्यतन् प्रगति समीक्षा के उपरान्त कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु निम्नवत् आवश्यक दिशा निर्देश दिये गयेः–

कार्यवाही बिंदु 1–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के संबंध में अनुपालन आख्या प्रेषित न करने वाले विभाग नगर निगम, देहरादून, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, नगर पालिका मसूरी, सिंचाई विभाग को अध्यक्ष महोदय द्वारा विभागीय प्रमाणित आख्या प्रेषित करें। जिससे मा0 एनजीटी में ससमय आख्या दाखिल हो सके है।

(कार्यवाही– नगर निगम देहरादून/मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण/ नगर पालिका मसूरी/सिंचाई विभाग, देहरादून)

कार्यवाही बिंदु 2:–गंगा बेसिन में ऋषिकेश में नमामि गंगे कार्यकम के अंतर्गत निर्मित/निर्माणाधीन एस0टी0पी0 एस0पी0एस0 एवं सीवर लाइन की प्रगति की समीक्षा परियोजना प्रबंधक, नि0अनु0 इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश की अद्यतन् प्रगति समिति के सम्मुख निम्नवत् प्रस्तुत की गयी–

योजना का नाम	प्रस्तावित कार्य		स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त के सापेक्ष व्यय	अभियुक्ति
के0एफ0डब्लू0 जर्मन बैंक द्वारा पैकेज–5	• सीवर लाइन • घरेलू सीवर कनेक्शन • पंपिंग स्टेशन	• 65.58 किमी • 5349 नग • 02 नग	183.09 करोड	30.20 करोड़	21.67 करोड़ (12%)	कार्य पूर्ण होने की तिथि 31 जनवरी 2026 भौतिक प्रगति कार्य 35 प्रतिशत पूर्ण
पैकेज–6	सीवर नेटवर्क सीवरसंयोजन	59.99 किमी 5907	135.27 करोड	अनुबंध गठन की कार्यवाही एसएमसीजी स्तर पर गतिमान।		
पैकेज–7	सीवर नेटवर्क सीवरसंयोजन	26.85 किमी 2120 नग	187.17 करोड	अनुबंध गठन की कार्यवाही एसएमसीजी स्तर पर गतिमान।		
पैकेज–8	एस0पी0एस0 सीवर नेटवर्क राइजिंग मैन	01 नग 26.85 किमी 300 मी0	132.50 करोड़ अनुमानित	• पुनरीक्षित प्राक्कलन विरचन का कार्य गतिमान। • एस0पी0एस0 निर्माण हेतु चयनित भूमि दिनांक 19.09.24 को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड को आवंटित किंतु Public Consent न होने के कारण व ESHS Issues होने के कारण एसपीएस का निर्माण संभव नहीं तथा डिजाइन आदि परिवर्तन के पुनरीक्षित प्राक्कलन विरचन का कार्य गतिमान		
पैकेज–9A	5 MLD STP राइजिंग मैन एस0पी0एस0	01 नग 50 मी0 01 नग		• विरचित प्राक्कलन की समीक्षा गतिमान। • प्रस्तावित 5.0 एमएलडी एसटीपी के निर्माण के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के नाम हस्तांतरित तथा मुख्य पंपिंग स्टेशन हेतु 600 वर्ग मी0 भूमि आवंटित करते हुए 06.09.24 को भूमि सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण कर दी गई है।		

Smt. Rukhsana Begum Advocate Reg. No. 20101/2002 Distt. Dehradun STATE OF UTTRAKHAND (INDIA)

योजना का नाम	प्रस्तावित कार्य	स्वीकृत लागत (रु0 लाख में)	अवमुक्त धनराशि (रु0 लाख में)	अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि (रु0 लाख में)	वित्तीय प्रगति प्रतिशत में	कार्य प्रारम्भ तिथि	अद्यतन स्थिति
ऋषिकेश 50 KLD क्षमता का Septage Co-treatment plant	• 65.58 किमी सीवर लाइन • 5349 नग घरेलू सीवर संयोजन • 02 नग पंपिंग स्टेशन	150.54	-	–	–	16.11.2024	डिजाइन एवं ड्राइंग की BEP महाप्रबंधक निर्माण से अनुमोदित

(कार्यवाहीः एस.डी.एम., ऋषिकेश, प. प्रबन्धक, नि0 एवं अनु0 इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश)

2–(अ) उत्तराखण्ड पेयजल निगम देहरादून शाखा द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन एस0टी0पी0 एस0पी0एस0 एवं सीवर लाइन की प्रगति–

योजना का नाम	प्रस्तावित कार्य	स्वीकृत लागत (रु0 लाख में)	अवमुक्त धनराशि (रु0 लाख में)	प्रगति प्रतिशत में	कार्य प्रारम्भ तिथि	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि
15 एम.एल.डी. एसटीपी एवं आई. एण्ड डी. सपेरा बस्ती	• आर.सीसी आईएण्डडी.कार्य–01नग • कैरियर लाइन– 1073 मी0 • सीवर संयोजन लाइन– 2627 मी. • 15 एमएलडी एसटीपी–01 नग • सुरक्षा दीवाल एवं एप्रोच रोड	7898.74	903.00	30%	15.03.24	मार्च 2026
एस.टी.पी. एवं सीवर लाइन कार्य, टपकेश्वर महादेव, गढीकैंट	• आरसीसी एनपी–3 पाइप– 16399.12 मी. • 8 एमएलडी एसटीपी–01 नग	5372.49	-	निविदा प्रकिया पूर्ण LoA जारी किया जा रहा है। एस0टी0पी0 की भूमि हेतु अनापत्ति अप्राप्त।		

आतिथि तक एन.ओ.सी अप्राप्त होने के कारण परियोजना में विलम्ब होने की संभावना है। जिसके कम में अध्यक्ष महोदय द्वारा पर्यटन विभाग से एन.ओ.सी. प्राप्त करने हेतु अधिशासी अभियंता, पेयजल निगम को निर्देश दिये।

(कार्यवाहीः उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून)

कार्यवाही बिंदु 3–जनपद देहरादून में स्थापित सैप्टेज/एस.टी.पी. के कार्य–प्रदर्शन एवं रख–रखाव की समीक्षा के लिए गठित निगरानी समिति द्वारा एसटीपी की निरीक्षण आख्या प्रस्तुत न होने के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई और निर्देश दिये कि प्रत्येक माह की 05 तारीख तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–एसएमसीजी/ उत्तराखण्ड जल संस्थान/पेयजल निगम, देहरादून)

कार्यवाही बिंदु 4:–घरेलू एवं अघरेलू सीवर संयोजन, नाला टेपिंग एवं सफाई–
उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश द्वारा अवगत कराया गया कि पिछली बैठक के उपरान्त 04 घरेलू भवनों 02 अघरेलू भवनों को सीवर से संयोजित किया गया है। वर्तमान तक 10101 भवनों में सीवर लाईन से संयोजित करने हेतु के0एफ0डब्लू0 पोषित योजना से सीवर लाईन बिछायी जा रही है। उक्त सभी भवनों के अपने सेप्टिक/सोकपिट निर्मित हैं।

(कार्यवाही– उत्तराखण्ड जल संस्थान/पेयजल निगम, ऋषिकेश)

कार्यवाही बिंदु 5–गंगा एवं उसकी सहायक नदी परिक्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण कार्य की समीक्षा के संबंध में निर्देश दिए गए कि जनपद में संचालित समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठानों यथा होटल, आश्रम, मॉल, चिकित्सालय इत्यादि को दिए गए सहमति प्राधिकार नियमानुसार देने के साथ ही जनपद के औद्योगिक क्षेत्र में निर्मित/निर्माणाधीन/प्रस्तावित ट्रीटमेंट प्लांट, आवासीय कालोनी में निर्मित एस0टी0पी0 का प्रतिदिन शोधन क्षमता के साथ समिति को उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही–उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून)

कार्यवाही बिंदु 6–नगर निकायों में साफ–सफाई एवं सैप्टेज प्रबंधन की समीक्षा–

1. गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे पर कूड़ा–करकट, गंदगी एकत्रित न हो, इस हेतु समय–समय पर विभाग द्वारा प्रत्येक माह निरीक्षण करें।

(कार्यवाही–समस्त नगर निगम/नगरपालिका/नगर पंचायत, देहरादून)

2. समाचार पत्रों में प्रकाशित "खुले में उड़ेले जा रहे सीवर" समाचार का अध्यक्ष महोदय द्वारा संज्ञान में लिया गया। जिसके कम में नगर निगम, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त

NOTARY Rehana Begum Advocate Reg. No. 30/01/2017 Distt. Dehradun STATE OF UTTRAKHAND (INDIA)

2

कार्य करने वाले वाहन चालक का चालान कर दिया गया है। जिसके कम में अध्यक्ष महोदय द्वारा नगर निगम देहरादून को सैप्टेज प्रोटोकाल--2018 के अनुसार स्लज वाहनों का शत--प्रतिशत पंजीकरण करते हुए वाहनों पर जीपीएस ट्रैकिंग यंत्र अनिवार्य रुप से स्थापित करने के निर्देश दिये।

(कार्यवाही– नगर निगम देहरादून)

3. अध्यक्ष महोदय के संज्ञान में आया है कि चन्द्रेश्वर नगर एस.टी.पी. के किनारे से गंदा पानी निकलकर गंगा नदी में प्रवाहित हो रहा है। जिसके कम में पेयजल निगम, ऋषिकेश द्वारा अवगत कराया गया कि सूचना प्राप्त होते ही प्रवाहित जल को एस.टी.पी से संयोजित कर दिया गया है। जिसके कम में अध्यक्ष महोदय ने आख्या प्रेषित करने के निर्देश दिये।

(कार्यवाही–पेयजल निगम/नगर निगम ऋषिकेश)

कार्यवाही बिंदु 7–जिला गंगा योजना(डी.जी.पी.) तैयार करने के संबधि में Key Issues की समीक्षा की गई तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि संबधित विभागों को Draft DGP एवं Key Issues भेज दिये जाये तथा विभागों के मंतव्य प्राप्त कर लिये जाएं जिससे दिनांक 29 अप्रैल 2025 को आयोजित डीजीपी कार्यशाला में key issues को अंतिम रुप दिया जायेगा।

(कार्यवाही– समस्त विभाग)

कार्यवाही अन्य बिंदु–

जिला गंगा समिति सदस्य डा0 दीपक तायल द्वारा रामानंद घाट से नाव घाट की तरफ पूजा घाट विकसित करने का अनुरोध किया तथा अवगत कराया कि वर्तमान में इस क्षेत्र में गंगा में प्रतिदिन अत्यधिक गंदगी हो रही है एवं अनैतिक कार्य चल रहे हैं अतः आमजन की आदमरफत बढाने के लिये पूजा घाट बनाना आवश्यक है इससे गंगा जी में गंदगी का प्रवाह इस क्षेत्र से रुकेगा। जिसके कम में अध्यक्ष महोदय द्वारा सिंचाई विभाग से Detail Project Report तैयार करने के निर्देश दिये।

(कार्यवाही–एस.डी.एम., ऋषिकेश/अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, देहरादून)

अतः अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गयी।

//ह0//
(सविन बंसल)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला गंगा संरक्षण समिति
देहरादून।

पत्रांक :–81/जि0गं0सु0स0/2024–25 **दिनांक: 21 अप्रैल, 2025**

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. कार्यक्रम निदेशक, राज्य गंगा स्वच्छ मिशन, नमामि गंगे,उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला गंगा संरक्षण समिति, देहरादून।
3. उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्रधिकारण, देहरादून।
4. प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव, जिला गंगा सुरक्षा समिति, देहरादून।
5. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।
6. अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व, देहरादून।
7. नगर आयुक्त, नगर निगम, ऋषिकेश।
8. समस्त उप जिलाधिकारी, देहरादून।
9. अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान एवं पेयजल निगम, देहरादून।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान एवं पेयजल निगम, देहरादून।
11. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नेहरू कॉलोनी, देहरादून।
12. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत, देहरादून।
13. समस्त सदस्य, जिला गंगा संरक्षण समिति, देहरादून।

NOTARY
Smt. Rukhsana Begum
Advocate
Reg. No. 20/01/2032
Dist. Dehradun
STATE OF UTTRAKHAND (INDIA)

(अभिनव शाह)
मुख्य विकास अधिकारी
देहरादून।

महत्वपूर्ण/मा0एन0जी0टी0 प्रकरण

प्रेषक,

जिलाधिकारी
देहरादून।

सेवा में,

स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या 492 /एल0बी0सी0–2024 दिनांक 23 अप्रैल, 2025

[मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सख्या 304 एल0 बी0 सी0–2024 दिनांक 17.03.2025 एवं पत्र संख्या–315/एल0बी0सी0–2024 दिनांक 22 मार्च, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसमे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 13.02.2025 के सम्बन्ध मे दिनांक 22.02.2025 को जिला गंगा सुरक्षा समिति देहरादून की मासिक बैठक आहूत की गयी थी उक्त वैठक के बिन्दु संख्या–01 मे दिये गये थे, कि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा **Civil Appeal No-1440 of 2025** उत्तराखण्ड राज्य व अन्य बनाम निरंजन ब... में पारित आदेश दिनांक 10 फरवरी 2025 के कम में नगर निगम देहरादून, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, मसूरी नगर पालिका पेयजल निगम, सिचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग व अन्य सभी सम्बन्धित विभाग जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार दिनांक 07.10.2016 की धारा 6 की उप धारा 3 के प्रावधान का सख्ती से अनुपालन करने तथा इस आदेश/अधिसूचना के लागू होने से पहले रिस्पना नदी के अधिसूचित बाढ़ परिक्षेत्र में यदि कोई नियम विरुद्ध संरचना बनाई गयी है, जो रिस्पना नदी में सतत जल प्रवाह को प्रदूषित करने के साथ–साथ बाधित कर रही है, को संबधित विभाग उक्त अधिसूचना की धारा 6 की उपधारा 3 के द्वितीय परन्तुक के अनुक्रम में ऐसी समस्त संरचनाओं को 28.02.2025 तक चिन्हित करते हुए तत्काल हटाये। उक्त के क्रम में सम्बन्धित विभागों द्वारा ऐसी समस्त संरचनाओं को चिन्हित करने एवं कितनी संरचनाओं को हटाया गया है, के सम्बन्ध में विभाग विस्तृत व सुस्पष्ट अनुपालन आख्या जिला मजिस्ट्रेट देहरादून के कार्यालय में दिंनाक 07 मार्च 2025 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। किन्तु सम्बन्धित विभागों द्वारा दिनांक 12.03.2025 तक अनुपालन आख्या इस कार्यालय मे उपलब्ध न कराये जाने के कारण पत्र संख्या–300/एल0बी0सी0–2025 दिनांक 12.03.2025 जारी किया गया। जिसमे दिनांक 15.03.2025 को समय 11:00 बजें पुनः समीक्षा बैठक आहूत की गयी जिसमें सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके द्वारा अतिकमण हटाये जाने हेतु समन्वय टीम गठित कर दिनाक 17.03.2025 से चिन्हीकरण और हटाये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

सम्बन्धित अधिकारियों को बार–बार निर्देश दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा अनुपालनात्मक आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध न कराये जाने के कारण दिनांक 17.03.2025 को प्रकरण की सुनवाई के दौरान मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा कड़ा रोष प्रकट किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश व दिनांक 22.02.2025 को आहूत बैठक के बिन्दु संख्या 01 मे दिये निर्देशो के अनुपालन मे कार्यवाही करने हेतु पत्र संख्या–315 दिनांक–22.03.2025 को पत्र प्रेषित किया गया जिसमें दिनाक 24.03.2025 तक अनिवार्य रूप से आख्या/रिपोर्ट भेजने हेतु लिखा गया किन्तु आख्या/रिपोर्ट कार्यालय में प्राप्त न होने पर पुनः प्रश्नगत प्रकरण में पत्र संख्या–420 दिनांक 5.04.2025

NOTARY ... OF UTTRAKHAND

जारी किया गया जिसमे दिंनाक 15.04.2025 तक अनिवार्य रूप से आख्या/रिपोर्ट इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है, परन्तु आज दिंनाक तक अनुपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में सम्बंधित विभाग द्वारा प्रस्तुत नही की गई है। मा0 एन0जी0टी0 बैंच द्वारा कार्य मे शिथिलता बरतने की दशा मे सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्व अभियोजन की संस्तुति हेतु जिलाधिकारी को निरंतर निर्देशित किया जा रहा है।

अतः पुनः अनुरोध है कि अपने विभाग के सक्षम अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वह मा0 हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष लम्बित प्रकरण में उपरोक्त के अनुपालन हेतु आख्या दिंनाक 26.04.2025 तक उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। महोदय इस कार्यालय व मा0 एन0जी0टी0 द्वारा किसी भी प्रतिकूल आदेश पारित होने की दशा में संबधित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होगे।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय

(सविन बंसल)
जिलाधिकारी,
देहरादून।

23/04/25

NOTARY
Smt. Rukhsana Begum
Advocate
Reg. No.
Distt. Dehradun
STATE OF UTTRAKHAND (INDIA)

महत्वपूर्ण / मा0एन0जी0टी0 प्रकरण

प्रेषक,

जिलाधिकारी
देहरादून।

से,

सचिव, लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या 493 /एल0बी0सी0--2024 दिनांक 23 अप्रैल, 2025

विषयः-- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सख्या 304 एल0 बी0 सी0-2024 दिनांक 17.03.2025 एवं पत्र संख्या-315/एल0बी0सी0--2024 दिनांक 22 मार्च, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसमे ... राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 13.02.2025 के सम्बन्ध मे दिनांक 22.02.2025 को जिला गंगा सुरक्षा समिति देहरादून की मासिक बैठक आहूत की गयी थी उक्त बैठक के बिन्दु संख्या-01 मे दिये गये थे, कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा **Civil Appeal No-1440 of 2025** उत्तराखण्ड राज्य व अन्य बनाम निरंजन बागछी में पारित आदेश दिनांक 10 फरवरी 2025 के कम में नगर निगम देहरादून, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, मसूरी नगर पालिका पेयजल निगम, सिचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग व अन्य सभी सम्बन्धित विभाग जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार दिनांक 07.10.2016 की धारा 6 की उप धारा 3 के प्रावधान का सख्ती से अनुपालन करने तथा इस आदेश/अधिसूचना के लागू होने से पहले रिस्पना नदी के अधिसूचित बाढ़ परिक्षेत्र में यदि कोई नियम विरुद्ध संरचना बनाई गयी है, जो रिस्पना नदी में सतत जल प्रवाह को प्रदूषित करने के साथ-साथ बाधित कर रही है, को संबधित विभाग उक्त अधिसूचना की धारा 6 की उपधारा 3 के द्वितीय परन्तुक के अनुक्रम में ऐसी समस्त संरचनाओं को 28.02.2025 तक चिन्हित करते हुए तत्काल हटाये। उक्त के क्रम में सम्बन्धित विभागों द्वारा ऐसी समस्त संरचनाओं को चिन्हित करने एवं कितनी संरचनाओं को हटाया गया है, के सम्बन्ध में विभाग विस्तृत व सुस्पष्ट अनुपालन आख्या जिला मजिस्ट्रेट देहरादून के कार्यालय में दिंनाक 07 मार्च 2025 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। किन्तु सम्बन्धित विभागों द्वारा दिनांक 12.03.2025 तक अनुपालन आख्या इस कार्यालय मे उपलब्ध न कराये जाने के कारण पत्र संख्या-300/एल0बी0सी0-2025 दिनांक 12.03.2025 जारी किया गया। जिसमे दिनांक 15.03.2025 को समय 11:00 बजें पुनः समीक्षा बैठक आहूत की गयी जिसमें सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने हेतु समन्वय टीम गठित कर दिंनाक 17.03.2025 से चिन्हीकरण और हटाये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

सम्बन्धित अधिकारियों को बार-बार निर्देश दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा अनुपालनात्मक आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध न कराये जाने के कारण दिनांक 17.03.2025 को प्रकरण की सुनवाई के दौरान मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा कड़ा रोष प्रकट किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश व दिनांक 22.02.2025 को आहूत बैठक के बिन्दु संख्या 01 मे दिये निर्देशो के अनुपालन मे कार्यवाही करने हेतु पत्र संख्या-315 दिनांक-22.03.2025 को पत्र प्रेषित किया गया जिसमें दिनाक 24.03.2025 तक अनिवार्य रूप से आख्या/रिपोर्ट भेजने हेतु लिखा गया ... आख्या/रिपोर्ट कार्यालय में प्राप्त न होनें पर पुनः प्रश्नगत प्रकरण में पत्र संख्या-420 दिनांक 5.04.2025

NOTARY
Smt. Rukhsana Begum
Advocate
Reg. No. ...
Distt. Dehradun
STATE OF UTTRAKHAND (INDIA)

जारी किया गया जिसमे दिंनाक 15.04.2025 तक अनिवार्य रूप से आख्या/रिपोर्ट इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है, परन्तु आज दिंनाक तक अनुपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में सम्बंधित विभाग द्वारा प्रस्तुत नही की गई है। मा0 एन0जी0टी0 बैंच द्वारा कार्य मे शिथिलता बरतने की दशा मे सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्व अभियोजन की संस्तुति हेतु जिलाधिकारी को निरंतर निर्देशित किया जा रहा है।

अतः पुनः अनुरोध है कि अपने विभाग के सक्षम अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वह मा0 हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष लम्बित प्रकरण में उपरोक्त के अनुपालन हेतु आख्या दिंनाक 25.04.2025 तक उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। महोदय इस कार्यालय व मा0 एन0जी0टी0 द्वारा किसी भी प्रतिकूल आदेश पारित होने की दशा में संबधित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होगे।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय

(सविन बंसल)
जिलाधिकारी,
देहरादून।

NOTARY
Smt. Ruksana Begum
Advocate
Reg. No. 20 I01/2022
Distt. Dehradun
STATE OF UTTRAKHAND (INDIA)

महत्वपूर्ण / मा0एन0जी0टी0 प्रकरण

प्रेषक,

जिलाधिकारी
देहरादून।

सेवा में,

सचिव, पेयजल
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या 494 /एल0बी0सी0–2024 दिनांक 23 अप्रैल, 2025

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सख्या 304 एल0 बी0 सी0–2024 दिनांक 17.03.2025 एवं पत्र संख्या–315/एल0बी0सी0–2024 दिनांक 22 मार्च, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसमे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 13.02.2025 के सम्बन्ध मे दिनांक 22.02.2025 को जिला गंगा सुरक्षा समिति देहरादून की मासिक बैठक आहूत की गयी थी उक्त बैठक के बिन्दु संख्या–01 मे दिये गये थे, कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा **Civil Appeal No-1440 of 2025** उत्तराखण्ड राज्य व अन्य बनाम निरंजन बागछी में पारित आदेश दिनांक 10 फरवरी 2025 के क्रम में नगर निगम देहरादून, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, मसूरी नगर पालिका, पेयजल निगम, सिचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग व अन्य सभी सम्बन्धित विभाग जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार दिनांक 07.10.2016 की धारा 6 की उपधारा 3 के प्रावधान का सख्ती से अनुपालन करने तथा इस आदेश/अधिसूचना के लागू होने से पहले रिस्पना नदी के अधिसूचित बाढ़ परिक्षेत्र में यदि कोई नियम विरुद्ध संरचना बनाई गयी है, जो रिस्पना नदी में सतत जल प्रवाह को प्रदूषित करने के साथ–साथ बाधित कर रही है, को संबधित विभाग उक्त अधिसूचना की धारा 6 की उपधारा 3 के द्वितीय परन्तुक के अनुक्रम में ऐसी समस्त संरचनाओं को 28.02.2025 तक चिन्हित करते हुए तत्काल हटाये। उक्त के क्रम में सम्बन्धित विभागों द्वारा ऐसी समस्त संरचनाओं को चिन्हित करने एवं कितनी संरचनाओं को हटाया गया है, के सम्बन्ध में विभाग विस्तृत व सुस्पष्ट अनुपालन आख्या जिला मजिस्ट्रेट देहरादून के कार्यालय में दिंनाक 07 मार्च 2025 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। किन्तु सम्बन्धित विभागों द्वारा दिनांक 12.03.2025 तक अनुपालन आख्या इस कार्यालय मे उपलब्ध न कराये जाने के कारण पत्र संख्या–300/एल0बी0सी0–2025 दिनांक 12.03.2025 जारी किया गया। जिसमे दिनांक 15.03.2025 को समय 11:00 बजें पुनः समीक्षा बैठक आहूत की गयी जिसमें सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने हेतु समन्वय टीम गठित कर दिनाक 17.03.2025 से चिन्हीकरण और हटाये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

सम्बन्धित अधिकारियों को बार–बार निर्देश दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा अनुपालनात्मक आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध न कराये जाने के कारण दिनांक 17.03.2025 को प्रकरण की सुनवाई के दौरान मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा कड़ा रोष प्रकट किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश व दिनांक 22.02.2025 को आहूत बैठक के बिन्दु संख्या 01 मे दिये निर्देशो के अनुपालन मे कार्यवाही करने हेतु पत्र संख्या–315 दिनाक–22.03.2025 को पत्र प्रेषित किया गया जिसमें दिनाक 24.03.2025 तक अनिवार्य रूप से आख्या/रिपोर्ट भेजने हेतु लिखा गया किन्तु आख्या/रिपोर्ट कार्यालय में प्राप्त न होने पर पुनः प्रश्नगत प्रकरण में पत्र संख्या–420 दिनांक 5.04.2025

NOTARY
Smt. Rukshana
Reg. No.
Distt. Dehradun
STATE OF UTTARAKHAND

जारी किया गया जिसमे दिंनाक 15.04.2025 तक अनिवार्य रूप से आख्या/रिपोर्ट इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है, परन्तु आज दिंनाक तक अनुपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में सम्बंधित विभाग द्वारा प्रस्तुत नही की गई है। मा0 एन0जी0टी0 बैंच द्वारा कार्य मे शिथिलता बरतने की दशा मे सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्व अभियोजन की संस्तुति हेतु जिलाधिकारी को निरंतर निर्देशित किया जा रहा है।

अतः पुनः अनुरोध है कि अपने विभाग के सक्षम अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वह मा0 हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष लम्बित प्रकरण में उपरोक्त के अनुपालन हेतु आख्या दिंनाक 25.04.2025 तक उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। महोदय इस कार्यालय व मा0 एन0जी0टी0 द्वारा किसी भी प्रतिकूल आदेश पारित होने की दशा में संबधित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होगे।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय

(सविन बंसल)
जिलाधिकारी,
देहरादून।

NOTARY
Smt. Rukhsana Bagum
Advocate
Reg. No. 2...
Distt. Dehradun
STATE OF UTTRAKHAND (INDIA)

प्रेषक, महत्वपूर्ण/मा0एन0जी0टी0 प्रकरण

जिलाधिकारी
देहरादून।

सेवा में,

सचिव, सिचाई विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या 495 /एल0बी0सी0–2024 दिनांक 23 अप्रैल, 2025

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सख्या 304 एल0 बी0 सी0–2024 दिनांक 17.03.2025 एवं पत्र संख्या–315/एल0बी0सी0–2024 दिनांक 22 मार्च, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसमे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 13.02.2025 के सम्बन्ध मे दिनांक 22.02.2025 को जिला गंगा सुरक्षा समिति देहरादून की मासिक बैठक आहूत की गयी थी उक्त बैठक के बिन्दु संख्या–01 मे दिये गये थे, कि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा **Civil Appeal No-1440 of 2025** उत्तराखण्ड राज्य व अन्य बनाम निरंजन बागछी में पारित आदेश दिनांक 10 फरवरी 2025 के कम में नगर निगम देहरादून, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, मसूरी नगर पालिका पेयजल निगम, सिचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग व अन्य सभी सम्बन्धित ... जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार दिनांक 07.10.2016 की धारा 6 की उप धारा 3 के प्रावधान का सख्ती से अनुपालन करने तथा इस आदेश/अधिसूचना के लागू होने से पहले रिस्पना नदी के अधिसूचित बाढ़ परिक्षेत्र में यदि कोई नियम विरुद्ध संरचना बनाई गयी है, जो रिस्पना नदी में सतत जल प्रवाह को प्रदूषित करने के साथ–साथ बाधित कर रही है, को संबधित विभाग उक्त अधिसूचना की धारा 6 की उपधारा 3 के द्वितीय परन्तुक के अनुक्रम में ऐसी समस्त संरचनाओं को 28.02.2025 तक चिन्हित करते हुए तत्काल हटाये। उक्त के क्रम में सम्बन्धित विभागों द्वारा ऐसी समस्त संरचनाओं को चिन्हित करने एवं कितनी संरचनाओं को हटाया गया है, के सम्बन्ध में विभाग विस्तृत व सुस्पष्ट अनुपालन आख्या जिला मजिस्ट्रेट देहरादून के कार्यालय में दिंनाक 07 मार्च 2025 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। किन्तु सम्बन्धित विभागों द्वारा दिनांक 12.03.2025 तक अनुपालन आख्या इस कार्यालय मे उपलब्ध न कराये जाने के कारण पत्र संख्या–300/एल0बी0सी0–2025 दिनांक 12.03.2025 जारी किया गया। जिसमे दिनांक 15.03.2025 को समय 11:00 बजें पुनः समीक्षा बैठक आहूत की गयी जिसमें सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके द्वारा अतिकमण हटाये जाने हेतु समन्वय टीम गठित कर दिंनाक 17.03.2025 से चिन्हीकरण और हटाये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

सम्बन्धित अधिकारियों को बार–बार निर्देश दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा अनुपालनात्मक आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध न कराये जाने के कारण दिनांक 17.03.2025 को प्रकरण की सुनवाई के दौरान मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा कड़ा रोष प्रकट किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश व दिनांक 22.02.2025 को आहूत बैठक के बिन्दु संख्या 01 मे दिये निर्देशो के अनुपालन मे कार्यवाही करने हेतु पत्र संख्या–315 दिंनाक–22.03.2025 को पत्र प्रेषित किया गया जिसमें दिंनाक 24.03.2025 तक अनिवार्य रूप से आख्या/रिपोर्ट भेजने हेतु लिखा गया किन्तु आख्या/रिपोर्ट कार्यालय में प्राप्त न होने पर पुनः प्रश्नगत प्रकरण में पत्र संख्या–420 दिनांक 5.04.2025

NOTARY Smt. Rukhsana Bano ... Reg. No. ... Distt. Dehradun STATE OF UTTARAKHAND

जारी किया गया जिसमे दिंनाक 15.04.2025 तक अनिवार्य रूप से आख्या/रिपोर्ट इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है, परन्तु आज दिंनाक तक अनुपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय मे सम्बंधित विभाग द्वारा प्रस्तुत नही की गई है। मा0 एन0जी0टी0 बैंच द्वारा कार्य मे शिथिलता बरतने की दशा मे सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्व अभियोजन की संस्तुति हेतु जिलाधिकारी को निरंतर निर्देशित किया जा रहा है।

अतः पुनः अनुरोध है कि अपने विभाग के सक्षम अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वह मा0 हरित अधिकरण नई दिल्ली के सगक्ष लम्बित प्रकरण में उपरोक्त के अनुपालन हेतु आख्या दिंनाक 26.04.2025 तक उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। महोदय इस कार्यालय व मा0 एन0जी0टी0 द्वारा किसी भी प्रतिकूल आदेश पारित होने की दशा में संबधित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होगे।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय

(सविन बंसल)
जिलाधिकारी,
o/c देहरादून।

NOTARY STATE OF UTTRAKHAND (INDIA)

महत्वपूर्ण/मा0एन0जी0टी0 प्रकरण

प्रेषक,

जिलाधिकारी
देहरादून।

सेवा में,

सचिव, शहरी विकास,
उत्तराखण्ड शासन।

दिनांक 23 अप्रैल, 2025

संख्या 496 /एल0बी0सी0–2024

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सख्या 304 एल0 बी0 सी0–2024 दिनांक 17.03.2025 एवं पत्र संख्या–315/एल0बी0सी0–2024 दिनांक 22 मार्च, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसमे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 13.02.2025 के सम्बन्ध मे दिनांक 22.02.2025 को जिला गंगा सुरक्षा समिति देहरादून की मासिक बैठक आहूत की गयी थी उक्त बैठक के बिन्दु संख्या–01 मे दिये गये थे, कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा **Civil Appeal No-1440 of 2025** उत्तराखण्ड राज्य व अन्य बनाम निरंजन बागछी में पारित आदेश दिनांक 10 फरवरी 2025 के क्रम में नगर निगम देहरादून, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, मसूरी नगर पालिका, पेयजल निगम, सिचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग व अन्य सभी सम्बन्धित विभाग जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार दिनांक 07.10.2016 की धारा 6 की उप धारा 3 के प्रावधान का सख्ती से अनुपालन करने तथा इस आदेश/अधिसूचना के लागू होने से पहले रिस्पना नदी के अधिसूचित बाढ़ परिक्षेत्र में यदि कोई नियम विरुद्ध संरचना बनाई गयी है, जो रिस्पना नदी में सतत जल प्रवाह को प्रदूषित करने के साथ–साथ बाधित कर रही है, को संबधित विभाग उक्त अधिसूचना की धारा 6 की उपधारा 3 के द्वितीय परन्तुक के अनुक्रम में ऐसी समस्त संरचनाओं को 28.02.2025 तक चिन्हित करते हुए तत्काल हटाये। उक्त के क्रम में सम्बन्धित विभागों द्वारा ऐसी समस्त संरचनाओं को चिन्हित करने एवं कितनी संरचनाओं को हटाया गया है, के सम्बन्ध में विभाग विस्तृत व सुस्पष्ट अनुपालन आख्या जिला मजिस्ट्रेट देहरादून के कार्यालय में दिंनाक 07 मार्च 2025 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। किन्तु सम्बन्धित विभागों द्वारा दिनांक 12.03.2025 तक अनुपालन आख्या इस कार्यालय मे उपलब्ध न कराये जाने के कारण पत्र सं[illegible]00/एल0बी0सी0–2025 दिनांक 12.03.2025 जारी किया गया। जिसमे दिनांक 15.03.2025 को समय 11:00 बजें पुनः समीक्षा बैठक आहूत की गयी जिसमें सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके द्वारा अतिकमण हटाये जाने हेतु समन्वय टीम गठित कर दिंनाक 17.03.2025 से चिन्हीकरण और हटाये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

सम्बन्धित अधिकारियों को बार–बार निर्देश दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा अनुपालनात्मक आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध न कराये जाने के कारण दिनांक 17.03.2025 को प्रकरण की सुनवाई के दौरान मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा कड़ा रोष प्रकट किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश व दिनांक 22.02.2025 को आहूत बैठक के बिन्दु संख्या 01 मे दिये निर्देशो के अनुपालन मे कार्यवाही करने हेतु पत्र संख्या–315 दिंनाक–22.03.2025 को पत्र प्रेषित किया गया जिसमें दिंनाक 24.03.2025 तक अनिवार्य रूप से आख्या/रिपोर्ट भेजने हेतु लिखा गया किन्तु आख्या/रिपोर्ट कार्यालय में प्राप्त न होने पर पुनः प्रश्नगत प्रकरण में पत्र संख्या–420 दिनांक 5.04.2025

NOTARY
Smt. Rukhsana Begum
Advocate
Reg. No. 20[illegible]
Distt. Dehradun
STATE OF UTTARAKHAND (INDIA)

जारी किया गया जिसमे दिंनाक 15.04.2025 तक अनिवार्य रूप से आख्या/रिपोर्ट इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है, परन्तु आज दिंनाक तक अनुपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में सम्बंधित विभाग द्वारा प्रस्तुत नही की गई है। मा0 एन0जी0टी0 बैंच द्वारा कार्य मे शिथिलता बरतने की दशा मे सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्व अभियोजन की संस्तुति हेतु जिलाधिकारी को निरंतर निर्देशित किया जा रहा है।

अतः पुनः अनुरोध है कि अपने विभाग के सक्षम अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वह मा0 हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष लम्बित प्रकरण में उपरोक्त के अनुपालन हेतु आख्या दिंनाक 26.04.2025 तक उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। महोदय इस कार्यालय व मा0 एन0जी0टी0 द्वारा किसी भी प्रतिकूल आदेश पारित होने की दशा में संबधित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होगे।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय

(सविन बंसल)
जिलाधिकारी,
o/c देहरादून।

23/04/25

NOTARY
Smt. Rukhsana Begum
Advocate
Reg. No.
Distt. Dehradun
STATE OF UTTRAKHAND (IN)

महत्वपूर्ण / मा0एन0जी0टी0 प्रकरण

प्रेषक

जिलाधिकारी
देहरादून।

सेवा में,

सचिव, आवास
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या 417 /एल0बी0सी0–2024 दिनांक 23 अप्रैल, 2025

विषय:-- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सख्या 304 एल0 बी0 सी0–2024 दिनांक 17.03.2025 एवं पत्र संख्या–315/एल0बी0सी0–2024 दिनांक 22 मार्च, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसगे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 13.02.2025 के सम्बन्ध मे दिनांक 22.02.2025 को जिला गंगा सुरक्षा समिति देहरादून की मासिक बैठक आहूत की गयी थी उक्त बैठक के बिन्दु संख्या–01 मे दिये गये थे, कि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा **Civil Appeal No-1440 of 2025** उत्तराखण्ड राज्य व अन्य बनाम निरंजन बागछी में पारित आदेश दिनांक 10 फरवरी 2025 के कम में नगर निगम देहरादून, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, मसूरी नगर पालिक, पेयजल निगम, सिचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग व अन्य सभी सम्बन्धित विभागें जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार दिनांक 07.10.2016 की धारा 6 की उप धारा 3 के प्रावधान का सख्ती से अनुपालन करने तथा इस आदेश/अधिसूचना के लागू होने से पहले रिस्पना नदी के अधिसूचित बाढ़ परिक्षेत्र में यदि कोई नियम विरुद्ध संरचना बनाई गयी है, जो रिस्पना नदी में सतत जल प्रवाह को प्रदूषित करने के साथ–साथ बाधित कर रही है, को संबधित विभाग उक्त अधिसूचना की धारा 6 की उपधारा 3 के द्वितीय परन्तुक के अनुक्रम में ऐसी समस्त संरचनाओं को 28.02.2025 तक चिन्हित करते हुए तत्काल हटाये। उक्त के क्रम में सम्बन्धित विभागों द्वारा ऐसी समस्त संरचनाओं को चिन्हित करने एवं कितनी संरचनाओं को हटाया गया है, के सम्बन्ध में विभाग विस्तृत व सुस्पष्ट अनुपालन आख्या जिला मजिस्ट्रेट देहरादून के कार्यालय में दिनांक 07 मार्च 2025 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। किन्तु सम्बन्धित विभागों द्वारा दिनांक 12.03.2025 तक अनुपालन आख्या इस कार्यालय मे उपलब्ध न कराये जाने के कारण पत्र संख्या--300/एल0बी0सी0–2025 दिनांक 12.03.2025 जारी किया गया। जिसगे दिनांक 15.03.2025 को समय 11:00 बजें पुनः समीक्षा बैठक आहूत की गयी जिसमें सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने हेतु समन्वय टीम गठित कर दिनांक 17.03.2025 से चिन्हीकरण और हटाये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

सम्बन्धित अधिकारियों को बार–बार निर्देश दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा अनुपालनात्मक आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध न कराये जाने के कारण दिनांक 17.03.2025 को प्रकरण की सुनवाई के दौरान मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा कड़ा रोष प्रकट किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश व दिनांक 22.02.2025 को आहूत बैठक के बिन्दु संख्या 01 मे दिये निर्देशो के अनुपालन मे कार्यवाही करने हेतु पत्र संख्या--315 दिनाक–22.03.2025 को पत्र प्रेषित किया गया जिसमें दिनाक 24.03.2025 तक अनिवार्य रूप से आख्या/रिपोर्ट भेजने हेतु लिखा गया किन्तु आख्या/रिपोर्ट कार्यालय में प्राप्त न होने पर पुनः प्रश्नगत प्रकरण में पत्र संख्या–420 दिनांक 5.04.2025

NOTARY Smt. ... Advocate Reg. No. ... Distt. Dehradun STATE OF UTTRAKHAND (INDIA)

जारी किया गया जिसमे दिंनाक 15.04.2025 तक अनिवार्य रूप से आख्या/रिपोर्ट इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है, परन्तु आज दिंनाक तक अनुपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में सम्बंधित विभाग द्वारा प्रस्तुत नही की गई है। मा0 एन0जी0टी0 बैंच द्वारा कार्य मे शिथिलता बरतने की दशा मे सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्व अभियोजन की संस्तुति हेतु जिलाधिकारी को निरंतर निर्देशित किया जा रहा है।

अतः पुनः अनुरोध है कि अपने विभाग के सक्षम अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वह मा0 हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष लम्बित प्रकरण में उपरोक्त के अनुपालन हेतु आख्या दिंनाक 26.04.2025 तक उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। महोदय इस कार्यालय व मा0 एन0जी0टी0 द्वारा किसी भी प्रतिकूल आदेश पारित होने की दशा में संबधित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होगे।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय

(सविन बंसल)
जिलाधिकारी,
देहरादून।

23/04/25

NOTARY
Smt. Rukhsana Begum
Advocate
Reg. No. 20/01/12002
Distt. Dehradun
STATE OF UTTRAKHAND (INDIA)